
अध्याय-2

राज्य का वित्त

अध्याय 2

राज्य का वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह 2018-19 से 2022-23 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समग्र रूझानों, राज्य की ऋण धारणीयता और मुख्य लोक लेखा लेन-देनों राज्य के वित्त लेखों के आधार पर चर्चा करता है। जहाँ आवश्यकता थी, राज्य सरकार से भी जानकारी प्राप्त की गई।

2.1 वर्ष 2021-22 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.1 विगत वर्ष की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है। इन प्रत्येक संकेतकों को उत्तरोत्तर कंडिकाओं में विश्लेषित किया गया है।

तालिका 2.1: 2021-22 की तुलना में 2022-23 में राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none">✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 15.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ राज्य की स्वयं के कर प्राप्तियों में 17.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ स्वयं के गैर-कर प्राप्तियों में 27.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश में 13.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 2.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व व्यय में 6.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 7.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 12.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 4.84 प्रतिशत की कमी हुई
पूँजीगत प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none">✓ वर्ष 2021-22 में ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 27.36 प्रतिशत की कमी हुई जिसमें चालू वर्ष के दौरान 7.09 प्रतिशत से और कमी हुई✓ 2022-23 के दौरान गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों में ₹ 1,245.32 करोड़ की कमी आई
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ पूँजीगत व्यय में 49.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 18.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 227.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 12.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none">✓ ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 187.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 96.41 प्रतिशत की कमी हुई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 7.09 प्रतिशत की कमी हुई✓ लोक ऋण के पुर्नभुगतान में 58.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 35.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ लोक लेखा के संवितरण में 16.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none">✓ वर्ष 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,109.98 करोड़ (19.92 प्रतिशत) की वृद्धि हुई

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग


तालिका 2.2 2021-22 से 2022-23 के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग की तुलना करता है। अधिक विवरण परिशिष्ट 2.1 में दिये गये हैं।

तालिका 2.2: 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण
(₹ करोड़ में)

	ब्यौरा	2021-22	2022-23	वृद्धि (+)/कमी (-)
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक में प्रारंभिक नकद शेष	160.55	149.37	-11.18
	राजस्व प्राप्तियाँ	69,721.86	80,245.22	10,523.36
	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	1,291.73	46.41	-1,245.32
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	5,592.79	2,412.84	-3,179.95
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	-2,999.76	2,145.59	5,145.35
	कुल	73,767.17	84,999.43	11,232.26
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	62,777.92	66,681.63	3,903.71
	पूँजीगत व्यय	9,376.90	14,015.59	4,638.69
	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	1,462.98	4,211.14	2,748.16
	भारतीय रिजर्व बैंक में अंतिम नकद शेष	149.37	91.07	-58.30
	कुल	73,767.17	84,999.43	11,232.26

चार्ट 2.1 वर्ष 2022-23 के दौरान समेकित निधि में प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता का विवरण प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.1: 2022-23 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण



2.3 राज्य के संसाधन

यह कंडिका सम्पूर्ण प्राप्तियों के घटक को दर्शाता है। पूँजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों के अलावे, लोक लेखा (संवितरण के बाद निवल) से उपलब्ध निधियों का भी सरकार द्वारा घाटों को पूरा करने हेतु इस्तेमाल किया गया।

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिये गये हैं:

1. **राजस्व प्राप्तियाँ** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल हैं।
2. **पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋण और गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ)** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/ वाणिज्यिक बैंको से उधार) से ऋण प्राप्तियाँ और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों ही राज्य के समेकित निधि का हिस्सा हैं।


3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ:** कुछ विशेष लेन-देन यथा छोटी बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबन्धित प्राप्तियाँ एवं भुगतान हैं जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहाँ, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि उपयोग हेतु सरकार के पास उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के घटक चार्ट 2.2 में दिये गए हैं।

चार्ट 2.2: 2022-23 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के घटक



2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

यह कंडिका कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों के रूझान का विश्लेषण करता है। इसके बाद, प्राप्तियों में रूझान को केंद्र सरकार से प्राप्ति और राज्य की अपनी प्राप्तियों में विभाजित किया गया है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्ष की अवधि में स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व उत्प्लावकता को दर्शाती है। आगे, स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं राजस्व प्राप्तियों के संयोजन परिशिष्ट 2.2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व प्राप्तियाँ (रा. प्रा.) (₹ करोड़ में)	56,152	58,417	56,150	69,722	80,245
रा. प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.44	4.03	-3.88	24.17	15.09
स्वयं का कर राजस्व	14,752	16,771	16,880	21,290	25,118
स्वयं का कर राजस्व की वृद्धि दर	19.42	13.69	0.65	26.12	17.98
कर-भिन्न राजस्व	8,258	8,750	7,564	10,031	12,830
कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर	5.24	5.96	-13.55	32.61	27.91
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं के कर एवं कर-भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	13.90	10.90	-4.20	28.13	21.16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रृंखला)	3,05,695	3,10,305	2,96,664	3,58,863	3,93,722
स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.30	1.51	-4.40	20.97	9.71
रा. प्रा./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	18.37	18.83	18.93	19.43	20.38
उत्प्लावकता अनुपात¹					
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	0.48	2.67	*	1.15	1.55
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राज्य के स्वयं के राजस्व की उत्प्लावकता	1.05	7.22	*	1.34	2.18
स्वयं का कर राजस्व के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता	0.33	0.29	#	0.93	0.84

स.रा.घ.उ. आँकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

* चूँकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि नकारात्मक थी, अतः उत्प्लावकता संगणित नहीं किया गया।


चूँकि राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि नकारात्मक थी, उत्प्लावकता संगणित नहीं किया गया।

यद्यपि राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 69,722 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 80,245 करोड़ हो गईं, लेकिन उनकी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 24.17 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15.09 प्रतिशत रह गई।


जैसा कि तालिका 2.3 से देखा जा सकता है, स.रा.घ.उ. की कम वृद्धि दर के कारण, स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व और स्वयं के राजस्व की उछाल में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सुधार हुआ।

¹ उत्प्लावकता अनुपात आधार परिवर्तनीयता में हुए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्तन की जवाबदेही के लचीलापन या डिग्री को बतलाता है।

चार्ट 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ



चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों के संयोजकों की प्रवृत्तियाँ



आगे, जैसा कि तालिका 2.3 में दिखाया गया है, 2022-23 के दौरान राज्य के स्वयं के राजस्व में 21.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से एसजीएसटी के संग्रह में ₹ 1,817 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जबकि गैर-कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के तहत संग्रह में ₹ 2,501 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।


राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग के अनुशंसा द्वारा निर्धारित की जाती है। केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण एवं योजनाओं हेतु पूर्व अनुमानित केन्द्रीय सहायता की मात्रा से किया जाता है। अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्वयं कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से स्वयं के राजस्व के संदर्भ में किया गया है।

अ. स्वयं-कर राजस्व

राज्य के स्वयं कर राजस्व में राज्य जी.एस.टी., राज्य उत्पाद, वाहन कर, पेट्रोलियम एवं शराब पर बिक्री कर, मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क, भू-राजस्व, विद्युत् पर कर एवं शुल्क आदि शामिल हैं। चार्ट 2.5 राज्य के कर राजस्व की वृद्धि को दर्शाता है और तालिका 2.4 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान स्वयं के कर राजस्व के घटकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान कर राजस्व में वृद्धि



तालिका 2.4: वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्कलाइन
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,475	3,996	4,301	5,213	6,271	
एस.जी.एस.टी.	8,201	8,418	7,931	9,557	11,374	
राज्य उत्पाद	1,083	2,009	1,821	1,807	2,057	
वाहन कर	864	1,129	976	1,263	1,574	
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	451	560	708	987	1,108	
भू-राजस्व	389	338	873	1,621	1,557	
विद्युत् कर एवं शुल्क	209	236	195	792	1,132	
अन्य	80	85	75	50	45	
कुल	14,752	16,771	16,880	21,290	25,118	

स्रोत: वित्त लेखे

स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर ने 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान 0.65 से 26.12 प्रतिशत के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव दर्शाया। पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं कर राजस्व में 17.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण बिक्री, व्यापार आदि पर करों (20 प्रतिशत) और एसजीएसटी (19 प्रतिशत) का अधिक संग्रह था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, एसजीएसटी का वास्तविक संग्रह (₹ 11,374 करोड़) बजट अनुमान (₹ 10,450 करोड़) से अधिक था।

जैसा कि परिवहन विभाग द्वारा सूचित किया गया है, पिछले वर्ष की तुलना में वाहनों पर करों के संग्रह में वृद्धि अगस्त 2021 में राज्य सरकार द्वारा वाहनों के पंजीकरण के लिए नई शुल्क संरचना की शुरुआत के कारण हुई थी। राज्य का अपना कर संबंधित अन्य घटकों के संग्रह में वृद्धि या कमी का कारण विभागों से प्राप्त नहीं हुआ है।

जीएसटी प्राप्तियों का ऑडिट

जीएसटीएन परिसर में पैन-इंडिया डेटा तक पहुंच प्रदान करने का भारत सरकार का निर्णय 22 जून 2020 को बताया गया था। झारखण्ड एक मॉडल-II राज्य है और जनवरी 2021 से, आवश्यकता पड़ने पर वाणिज्यिक कर मंडल के परिसर में लेखापरीक्षा दल को बैक-एंड सिस्टम तक उपयोगकर्ता-आईडी आधारित पहुंच प्रदान की गई है। सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग से ऑडिट के लिए समर्पित यूजर-आईडी आधारित पहुंच प्रदान करने का अनुरोध किया गया था (जुलाई 2023)।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)

जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर लागू किए जाने के कारण राजस्व में कमी को राज्यों को आधार वर्ष (2015-16) से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मानते हुए जून 2022 में समाप्त होने वाली पाँच वर्षों की अवधि के लिए मुआवजा दिया जाएगा। केन्द्र वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) वसूलती है तथा उस राज्य को कर का राज्यांश प्रदान करती है, जिस राज्य में वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है।

2022-23 के दौरान, झारखण्ड को अप्रैल 2021 से जून 2022 की अवधि से संबंधित जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न राजस्व में कमी के मुआवजे के लिए ₹ 2,064.64 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। 2021-22 के लिए ₹ 1,385.00 करोड़ और अप्रैल 2022 से जून 2022 की अवधि के लिए ₹ 679.64 करोड़ का अनुदान राज्य को इस शर्त पर प्राप्त हुई थी कि यदि राज्य की कुल जीएसटी मुआवजे की पात्रता भारत के सीएजी द्वारा लेखापरीक्षित राजस्व आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार को पहले ही जारी किए गए अनंतिम जीएसटी मुआवजे की कुल राशि से कम हो जाती है तो अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के अनुसार भविष्य के दावों से या राज्य सरकार के खाते में सीधे डेबिट द्वारा वसूल किया जाएगा।

बकाया राजस्व एवं बकाया मूल्यांकन का विश्लेषण

बकाया राजस्व सरकार के राजस्व के विलंब से प्राप्ति को इंगित करता है। उसी प्रकार, बकाया मूल्यांकन संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंब से मूल्यांकन के कारण अवरूद्ध होती है। दोनों संभावित राजस्व प्राप्ति से राज्य को वंचित रखते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

31 मार्च 2023 को, राजस्व संग्रहण में बकाया ₹ 640 करोड़ (मोटर वाहन कर विभाग) था जिनमें से ₹ 435.91 करोड़ पाँच साल से अधिक समय से बकाया था। इन विभागों में कुल बकाया राशि में से ₹ 4.90 करोड़ की राशि न्यायालयों में अवरुद्ध थी। अन्य विभागों के ब्यौरे सितम्बर 2023 तक उपलब्ध नहीं थे।

मुख्य शीर्ष 0041 के अंतर्गत राजस्व के लेखांकन में विसंगति

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 32 और 81 के तहत लगाया गया शुल्क और राष्ट्रीय परमिट योजना के तहत समग्र शुल्क में राज्य का हिस्सा, लघु शीर्ष '101-भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्राप्तियाँ' का हिस्सा है।

मोटर वाहन कर और जुर्माना, झारखण्ड मोटर वाहन नियम, 2001 के तहत लगाया जाने वाला एकमुश्त कर और शुल्क, राज्य मोटर वाहन अधिनियम के तहत लघु शीर्ष '102-प्राप्तियाँ' में दर्ज राजस्व का गठन करता है।

यह देखा गया कि लघु शीर्ष '101' (2021-22 में ₹ 947.80 करोड़ और 2022-23 में ₹ 1,225.68 करोड़) के तहत दर्ज की गई राशि लघु शीर्ष '102' (2021-22 में ₹ 3.70 करोड़ और 2022-23 में ₹ 5.53 करोड़) के तहत दर्ज की गई राशि से कहीं अधिक है। हालाँकि, एकत्र की गई प्राप्तियाँ कर और जुर्माने के कारण थीं, जो परिवहन विभाग के राजस्व का बड़ा हिस्सा है, यह देखा गया कि लघु शीर्ष 102 के तहत दर्ज की गई राशि लघु शीर्ष 101 के तहत दर्ज की गई राशि से कम थी। आगे यह देखा गया कि खातों में दर्ज की गई राशि लघु शीर्षों के बजट अनुमान के आधार पर थी।

यह मामला परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में उठाया गया था और जवाब में कहा गया कि वित्त विभाग से सलाह लेने के बाद लेखा शीर्षों के वर्गीकरण को उचित रूप से ठीक किया जाएगा।

ब. कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व (क.भि.रा.) में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ इत्यादि शामिल होती हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 12,830 करोड़ का कर-भिन्न राजस्व संग्रहित हुआ। कर-भिन्न राजस्व का संग्रहण वर्ष हेतु ₹ 13,763 करोड़ के बजट आकलन से उल्लेखनीय रूप से कम था। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व का घटकवार विवरण तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्कलाइन
ब्याज प्राप्ति	47	310	81	96	282	
लाभांश एवं लाभ	0	0	15	0	0	
अन्य कर भिन्न प्राप्ति	8,211	8,440	7,468	9,935	12,548	
(क) अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	5,935	5,461	5,012	7,535	10,036	
(ख) शिक्षा, खेल कद, कला एवं संस्कृति	590	469	166	128	6	
(ग) शहरी विकास	265	529	80	263	102	
(घ) वृहद सिंचाई	321	424	32	79	36	
(ङ) जन आपूर्ति	6	420	137	132	20	
(च) विविध सामान्य सेवाएँ	37	140	171	483	1,172	
(छ) वन एवं वन्य जीव	15	18	328	656	638	
(ज) अन्य	1,042	979	1,542	659	538	
कुल	8,258	8,750	7,564	10,031	12,830	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त खाते

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्ति में कर-भिन्न राजस्व की हिस्सेदारी 13.47 प्रतिशत से 15.99 प्रतिशत के बीच थी। यह 2021-22 में 14.39 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 15.99 प्रतिशत हो गया। कर-भिन्न राजस्व का मुख्य स्रोत अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग था जो 2021-22 में ₹ 7,535 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 10,036 करोड़ हो गया। 2022-23 के दौरान विविध सामान्य सेवाओं में भी उल्लेखनीय वृद्धि (₹ 689 करोड़ से) देखी गई।


राजस्व प्राप्ति का गलत वर्गीकरण

झारखण्ड ट्रेजरी कोड, 2016 के नियम 334 के अनुसार, पिछले वर्षों से संबंधित व्यक्तिगत जमा/व्यक्तिगत खाता (पीडी/पीएल) खातों के तहत पड़ी अव्ययित शेष राशि को व्यय में कटौती के रूप में संबंधित सेवा शीर्षों में स्थानांतरित किया जाना था, जहां से पैसा निकाला गया था। 2022-23 के दौरान यह देखा गया कि, पीडी/पीएल खातों के अंतर्गत पड़े ऋणों की अव्ययित शेष राशि, जो ₹ 1,115.39 करोड़ थी, को प्राप्त शीर्ष "0075-विविध सामान्य सेवाएं-800-अन्य प्राप्ति" के तहत गलत तरीके से जमा किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व प्राप्ति के साथ ही ऋण की अत्योक्ति हुई।

स. केन्द्र सरकार से अंतरण

2022-23 के दौरान केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान के रूप में केंद्र सरकार से राज्य को हस्तांतरण राज्य के कुल गैर-ऋण राजस्व का 50 प्रतिशत से अधिक था। स्वयं के राजस्व के संग्रह में गिरावट के कारण 2017-18 के दौरान केंद्र सरकार से गैर-ऋण प्राप्ति के हस्तांतरण का अनुपात उच्चतम (62 प्रतिशत) था। जून 2022 में पांच साल की अवधि पूरी होने के कारण जीएसटी कार्यान्वयन के कारण राजस्व में कमी का मुआवजा भी रोक दिया गया था। 2022-23 के दौरान यह अनुपात 52.68 प्रतिशत था।

चार्ट 2.6: केन्द्र से राज्य को अंतरण



जैसा कि चार्ट 2.6 में दिखाया गया है, 2019-20 और 2020-21 को छोड़कर केंद्र सरकार से राज्य को करों का हस्तांतरण 2013-14 में ₹ 8,939 करोड़ से लगातार बढ़कर 2022-23 में ₹ 31,404 करोड़ हो गया।

केन्द्रीय कर अंतरण

तालिका 2.6 में पिछले पाँच वर्षों का केन्द्रीय कर अंतरण (सी.टी.टी.) का घटकवार प्रवृत्ति दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	5,900	5,844	5,863	8,367	8,874
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)	471	0	0	0	0
निगम कर	8,313	7,021	5,944	7,139	10,529
निगम कर के अलावा आय पर कर	6,122	5,502	6,093	8,693	10,279
सीमा शुल्क	1,695	1,305	1,050	2,060	1,235
संघ उत्पाद शुल्क	1,126	908	663	1,089	387
सेवा कर	220	0	85	356	49
अन्य कर ²	59	13	14	31	51
केन्द्रीय कर अंतरण	23,906	20,593	19,712	27,735	31,404
विगत वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	13	-14	-4	41	13
राजस्व प्राप्त के सापेक्ष केन्द्रीय कर अंतरण का प्रतिशतता	43	35	35	40	39

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2022-23 में केन्द्रीय कर अंतरण में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,669 करोड़ की वृद्धि हुई थी। यह मुख्य रूप से निगम कर और निगम कर के अलावा आय पर करों के हस्तांतरण में वृद्धि के कारण था।

² संपत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क शामिल हैं।

भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायता अनुदान की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 के दौरान उच्चतम (33.21 प्रतिशत) थी जो 2022-23 में घटकर 2.13 प्रतिशत हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान मामूली वृद्धि, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 333 करोड़), प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (₹ 227 करोड़) और प्रजनन बाल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए लचीले पूल (₹ 369 करोड़) के तहत अधिक प्राप्तियों के कारण थी जिसकी भरपाई एसडीआरएफ का हिस्सा (₹ 596 करोड़) न मिलने से हुई। भारत सरकार से सहायता अनुदान का विवरण तालिका 2.7 में दिखाया गया है।

तालिका 2.7: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान (सी.एस.एस.)	6,996.85	7,339.05	6,838.85	6,577.16	6,871.79
वित्त आयोग अनुदान	1,059.89	3,154.60	2,990.50	2,198.30	1,826.59
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	604.12	2,236.71	1,689.00	699.30	1,271.00
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	140.02	586.39	733.50	600.20	441.94
अन्य (एस.डी.आर.एफ., एस.डी.आर.एफ. सहित)	315.75	331.50	568.00	898.80	113.65
राज्यों/विधानमण्डल वाले केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,178.78	1,809.01	2,164.06	1,891.40	2,195.16
राज्य सड़कों के लिए अनुदान	63.33	137.67	78.77	40.79	81.56
जीएसटी के क्रियान्वयन से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई	1,029.00	1,531.82	1,958.32	1,525.63	2,064.64
जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता	73.54	111.66	102.78	122.64	48.96
अन्य	12.91	27.86	24.19	202.34	0.00
कुल	9,235.52	12,302.66	11,993.41	10,666.86	10,893.54
पिछले वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	-19.07	33.21	-2.51	-11.06	2.13
राजस्व प्राप्तियों से सहायता अनुदान की प्रतिशतता	16.45	21.06	21.36	15.30	13.58

स्रोत: वित्त लेखे

2018-19 से 2022-23 के दौरान भारत सरकार से राज्य को सहायता अनुदान में ₹ 9,235.52 करोड़ से ₹ 12,302.66 करोड़ के बीच उतार-चढ़ाव आया और इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में उनका प्रतिशत 13.58 से 21.36 प्रतिशत के बीच रहा। इस अवधि के दौरान सहायता अनुदान की वृद्धि (-) 19.07 प्रतिशत और 33.21 प्रतिशत के बीच दोलित रही। पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान सहायता अनुदान में मामूली वृद्धि हुई।

एकल नोडल एजेंसी (एसएनए)

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली ने कार्यालय जापन संख्या 1(13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से प्रावधान किया कि प्रत्येक राज्य सरकार को इसके लिए प्रत्येक केंद्र प्रायोजित

योजना (सीएसएस) को लागू करने के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करना आवश्यक है। एकल नोडल एजेंसी राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एकल नोडल खाता खोलेगी। आगे, नई प्रक्रिया के अनुसार यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा खर्च की गई पूरी राशि एकल नोडल एजेंसी के एकल नोडल खाते में वापस कर दी जाए।

राज्य सरकार को अपने ट्रेजरी खातों में 2022-23 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में ₹ 6,617.25 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने ट्रेजरी खातों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 6,917.88 करोड़ और राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 6,978.52 करोड़ एसएनए को हस्तांतरित कर दिए। इस संबंध में कोई और विवरण/दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया गया। सीजीए/एसएनए के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹ 8,089.63 करोड़ बिना खर्च किए पड़े थे।

पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान (15^{वें} वि. आ.)

15^{वें} वि. आ. की सिफारिश पर, आधारभूत और सामान्य निष्पादन अनुदान के रूप में शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों हेतु राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: अनुशंसित राशि, वास्तविक निर्गमन और सहायता अनुदान का अंतरण

(₹ करोड़ में)

अंतरण	15 ^{वें} वि. आ. की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा निर्गमन			राज्य सरकार द्वारा निर्गमन (केन्द्रीय निर्गमन सहित)		
	2021-26	2021-22	2022-23	कुल	2021-22	2022-23	कुल
स्थानीय निकाय							
(i) पी.आर.आई. को अनुदान	6,585.00	699.30	1,271.00	1,970.30	772.76	1,462.57	2,235.33
(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	2,634.00	699.30	883.10	1,582.40	772.76	1,462.57	2,235.33
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	3,951.00	0.00	387.90	387.90			
(ii) यू.एल.बी. को अनुदान	3,367.00	600.20	441.94	1,042.14	1,042.33	1,266.41	2,308.74
(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	819.60	0.00	116.40	116.40	1,042.33	1,266.41	2,308.74
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	2,547.40	600.20	325.54	925.74			
स्वास्थ्य अनुदान	2,370.00	444.40	0.05	444.45	438.49	4.41	442.90
स्थानीय निकायों के लिए कुल	12,322.00	1,743.90	1,712.99	3,456.89	2,253.58	2,733.39	4,986.97
राज्य आपदा मोचन कोष*	4,182.00	454.40	0.00	454.40	605.60	0.00	605.60
कुल योग	16,504.00	2,198.30	1,712.99	3,911.29	2,859.18	2,733.39	5,592.57

* कुल अनुदान का 25 प्रतिशत राज्यांश सहित

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन तथा वित्त लेखे

केंद्र सरकार ने 2021-22 और 2022-23 के दौरान यूएलबी और पीआरआई के लिए 2021-26 की अवधि के लिए 15^{वें} वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 12,322.00 करोड़ के मुकाबले ₹ 3,342.90 करोड़ जारी किए। आगे, वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य द्वारा यूएलबी और पीआरआई को जारी कुल ₹ 2,733.39 करोड़ में केंद्र सरकार से ₹ 1,712.99 करोड़ प्राप्त हुए।

2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंको से उधार) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। वर्ष 2018-23 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पूँजीगत प्राप्तियाँ	7,850.43	9,642.31	13,595.36	11,131.62	9,188.71
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	47.57	49.19	48.78	1,291.73	46.41
निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	4,743.34	5,361.72	10,801.76	5,592.79	2,412.84
आंतरिक ऋण	4,637.10	5,109.14	8,411.43	2,581.42	(-)957.88
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)9.37	10.17	64.63	-69.31	(-)137.11
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	106.22	252.44	2,390.33*	3,011.37*	3,370.72#
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	50.52	137.66	846.89	25.98	11.93
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)4.10	22.93	41.21	(-) 27.36	(-)7.09
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)29.85	4.66	(-)0.83	2,548.07	(-)96.41
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.30	1.51	(-)4.40	20.97	9.71
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)4.31	22.83	41.00	(-)18.12	(-)17.45

स्रोत: वित्त लेखे एवं MoSPI वेबसाइट

* बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त जीएसटी क्षतिपूर्ति को शामिल करते हुए (2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ एवं वर्ष 2020-21 में ₹ 1689 करोड़)

2022-23 में पूँजीगत व्यय के लिए प्राप्त ₹ 2,964.32 करोड़ की विशेष सहायता शामिल है

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर में 2018-19 से 2022-23 के दौरान (-) 18.12 प्रतिशत और 41 प्रतिशत के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया। 2022-23 के दौरान, राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य रूप से बाजार ऋण के तहत कम प्राप्तियाँ (₹ 1,000 करोड़ से) के कारण कम हो गईं।

बिजली कंपनियों से पिछले वर्ष में ऋणों के एकमुश्त निपटान के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों में उल्लेखनीय (₹ 1,245 करोड़ से) कमी आई।

केन्द्रीय ऋणों को बड़े खाते में डालना

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 मार्च 2010 को केन्द्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत विभिन्न मंत्रालयों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए ऋणों को छोड़कर) द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों को बड़े खाते में डाल दिया था (फरवरी 2012)। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश की प्रभावी तिथि (31 मार्च 2010) और इसके कार्यान्वयन से किए गए मूलधन और ब्याज के अतिरिक्त भुगतान को वित्त मंत्रालय को भविष्य के भुगतान के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति दी थी। झारखण्ड सरकार ने 31 मार्च 2023 के अंत तक ₹ 5.73 करोड़ (मूलधन: ₹ 2.50 करोड़ और ब्याज: ₹ 3.23 करोड़) का अतिरिक्त पुनर्भुगतान किया था, जिसमें से वित्त मंत्रालय ने अब तक ₹ 3.51 करोड़ का समायोजन किया है। चालू वर्ष के दौरान कोई समायोजन नहीं किया गया।

2.3.4 संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत सहित स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में होता है। बजट/एम.टी.एफ.पी तथा 2022-23 के लिए 15^{वें} वित्त आयोग में संसाधनों के संग्रहण के अनुमान तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: 2022-23 हेतु कर एवं कर-भिन्न अनुमान के सापेक्ष प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	एम.टी.एफ.पी. अनुमान	15 ^{वें} वित्त आयोग अनुमान	वास्तविक	एम.टी.एफ.पी. अनुमान के सापेक्ष वास्तविक विचलन की प्रतिशतता
स्वयं-कर राजस्व	24,850	16,472	25,118	1.08
कर-भिन्न राजस्व	13,763	9,707	12,830	-6.78

जैसा कि तालिका 2.10 में दर्शाया गया है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान स्वयं के कर राजस्व का वास्तविक संग्रह एमटीएफपी और 15^{वें} एफसी अनुमानों से अधिक था, जबकि गैर-कर राजस्व का वास्तविक संग्रह 15^{वें} वित्त आयोग अनुमानों से अधिक था लेकिन एमटीएफपी अनुमानों से लगभग सात प्रतिशत कम था।

2.4 संसाधनों के अनुप्रयोग

राजकोषीय उत्तरदायी अधिनियम ढाँचे के अधीन व्यय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जबकि उसी समय यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य में चल रहे राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया, पूँजीगत मूल संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्देशित व्यय की लागत पर ना हो।

व्यय की संरचना एवं वृद्धि

तालिका 2.11, चार्ट 2.7 तथा परिशिष्ट 2.2 विगत पाँच वर्षों (2018-19 से 2022-23) में कुल व्यय तथा उसकी संरचना की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करते हैं।


तालिका 2.11: कुल व्यय एवं इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

व्योरा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय (कु.व्य.)	62,827	66,501	71,110	73,618	84,908
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	50,631	56,457	59,264	62,778	66,681
पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)	10,712	9,879	8,466	9,377	14,016
ऋण एवं अग्रिम	1,485	165	3,380	1,463	4,211
स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/ स.रा.घ.उ.	20.60	21.40	24.00	20.51	21.57
राजस्व व्यय/ स.रा.घ.उ.	16.56	18.19	19.98	17.49	16.94
पूँजीगत व्यय/ स.रा.घ.उ.	3.50	3.18	2.85	2.61	3.56
ऋण एवं अग्रिम/ स.रा.घ.उ.	0.49	0.05	1.14	0.41	1.07


जैसा कि तालिका 2.11 दर्शाया गया है, 2022-23 के दौरान स.रा.घ.उ. से कुल व्यय, ऋण और अग्रिम आदि का अनुपात 2021-22 के दौरान इसके अनुपात की तुलना में बढ़ गया, राजस्व व्यय से स.रा.घ.उ. अनुपात को छोड़कर जो थोड़ा कम हुआ। पूँजीगत व्यय से स.रा.घ.उ. अनुपात, जो 2020-21 और 2021-22 में तीन प्रतिशत से नीचे गिर गया, पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में ₹ 4,639 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण 2022-23 में बढ़कर 3.56 प्रतिशत हो गया। राज्य के कुल बजट (₹ 1,17,618 करोड़) के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 11.92 प्रतिशत रहा।

चार्ट 2.7: कुल व्यय - गतिविधियों के अनुसार व्यय



चार्ट 2.7 से यह देखा जा सकता है कि, जहां 2018-19 से 2022-23 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा लगातार बढ़ा, वहीं इसी अवधि के दौरान आर्थिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा लगातार कम हुआ। 2022-23 के दौरान सामान्य सेवाओं की हिस्सेदारी भी घट गई।

चार्ट 2.8: कुल व्यय - इसके घटकों के भाग का रुझान



जैसा कि चार्ट 2.8 से देखा जा सकता है, कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2021-22 में 85.28 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 78.53 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय पूर्व के उत्तरदायित्व हेतु भुगतान तथा सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अतः, यह राज्य के आधारभूत ढाँचे और सेवा विस्तार में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करता।

कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर और स.रा.घ.उ. और राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का अनुपात तालिका 2.12 में दर्शाया गया है।

यह देखा गया कि स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय (रा.व्य.) 2021-22 में 17.49 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 16.94 प्रतिशत हो गया।

तालिका 2.12: राजस्व व्यय-आधारभूत मापदंड


(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय (कु.व्य.)	62,827	66,501	71,110	73,618	84,908
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	50,631	56,457	59,264	62,778	66,681
रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	-0.60	11.50	5.00	5.93	6.22
कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	80.60	84.90	83.30	85.28	78.53
रा.व्य/ स.रा.घ.उ.(प्रतिशत)	16.56	18.19	19.98	17.49	16.94
रा.प्राप्ति के प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	90.20	96.60	105.50	90.00	83.10

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2022-23 के दौरान कुल राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में विभिन्न सेवाओं पर राजस्व व्यय चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

चाट 2.9: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार-विवरण



2022-23 के दौरान ₹ 66,681 करोड़ के कुल राजस्व व्यय में से स्थापना पर ₹ 34,328.93 करोड़ और राज्य व केंद्र की योजनाओं पर ₹ 32,352.70 करोड़ खर्च किये गये। आगे, राजस्व व्यय का प्रमुख हिस्सा (46 प्रतिशत) सामाजिक सेवाओं पर खर्च किया गया, उसके बाद आर्थिक सेवाओं (26 प्रतिशत) पर खर्च किया गया।

2021-22 और 2022-23 के दौरान, राजस्व व्यय की वृद्धि दर लगभग छः प्रतिशत के लगभग बराबर रही, हालांकि कुल व्यय में इसका प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में लगभग सात प्रतिशत अंक से कम हो गया। 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय बजट अनुमान (₹ 76,273 करोड़) की तुलना में ₹ 9,592 करोड़ से कम था।

राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

वर्तमान एवं विगत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अधीन उल्लेखनीय विचलन तालिका 2.13 में वर्णित है।

तालिका 2.13: 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय में विचलन
(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि(+)/ कमी(-)
2049- ब्याज भुगतान	6,286.05	6,238.29	(-)47.76
2055- पुलिस	5,277.62	5,932.65	655.03
2071- पेंशन	7,614.3	7,803.17	188.87
2202- सामान्य शिक्षा	10,817.1	11,166.76	349.66
2217- शहरी विकास	2,421.43	1,945.13	(-)476.3
2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3,943.19	5,486.89	1543.7
2236- पोषण	544.75	357.67	(-)187.08
2401- फसल कृषि-कर्म	2,213.40	909.17	(-)1,304.23
2505- ग्रामीण रोजगार	3,608.95	2,881.84	(-)727.11
2801- उर्जा	3,658.29	3,239.96	(-)418.33
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,621.3	2,256.42	635.12
3451- सचिवालय आर्थिक सेवा	174.73	492.66	317.93

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के घटकों, जैसे फसल कृषि-कर्म, शहरी विकास, बिजली और ग्रामीण रोजगार पर राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान कम हो गया।

फसल कृषि-कर्म और बिजली पर राजस्व व्यय में कमी मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत योजनाओं पर कम व्यय के कारण थी। शहरी विकास पर कम व्यय मुख्य रूप से स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना को कम सहायता के कारण था। ग्रामीण रोजगार पर कम खर्च का मुख्य कारण जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पर कम खर्च होना था।

पुलिस पर अधिक व्यय का मुख्य कारण जिला पुलिस और विशेष पुलिस पर अधिक व्यय था।

2.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल है। यह सरकारी संसाधनों पर सर्वप्रथम भारित होता है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति, विकास पर व्यय के लिए सरकार के पास कम संभावना छोड़ती है।

उपरोक्त के अलावा, अनम्य व्यय की कुछ मदें हैं, जिन्हें आम तौर पर बदला नहीं जा सकता है या पूँजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेनदेन के विपरीत वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है :

- i. स्थानीय निकायों को हस्तांतरण - वेतन और भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण (पूँजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण)
- ii. रक्षित निधि में योगदान की वैधानिक आवश्यकताएँ - समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ), राज्य आपदा शमन/प्रतिक्रिया निधि (एसडीएमएफ/ एसडीआरएफ) आदि में योगदान
- iii. आकस्मिक निधि की पुनर्प्राप्ति - वर्ष के दौरान पुनर्प्राप्त राशि
- iv. उपकर को रक्षित निधि/ अन्य निकायों में स्थानांतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक हैं
- v. प्राप्त केंद्रीय निधि के विरुद्ध सीएसएस का शेयर योगदान - राज्य के हिस्से की राशि एसएनए को हस्तांतरित की जाएगी/ राज्य द्वारा खर्च की जाएगी
- vi. ब्याज वाले धन की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था और लोक ऋण पर भारित व्यय-ब्याज भुगतान के रूप में किया जाता है।

प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार के पास विकास व्यय के लिए कम विकल्प छोड़ती है। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय और उसके घटकों का रुझान विश्लेषण तालिका 2.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वेतन एवं मजदूरी	12,138	12,832	12,885	13,979	14,903
पेंशन पर व्यय	5,991	6,005	6,797	7,614	7,803
ब्याज भुगतान	4,852	5,308	5,790	6,286	6,238
कुल	22,981	24,145	25,472	27,879	28,944
राजस्व प्राप्तियों (रा. प्रा.) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	21.60	22.00	22.90	20.05	18.57
पेंशन पर व्यय	10.67	10.28	12.11	10.92	9.72
ब्याज भुगतान	8.64	9.09	10.31	9.02	7.77
कुल	40.91	41.37	45.32	39.99	36.07
अनम्य व्यय के घटक					
स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण	उपलब्ध नहीं				
रक्षित निधि में योगदान	105	55	244	151	0
आकस्मिकता निधि की भरपाई	0	0	0	0	0
रक्षित निधि/अन्य निकायों को उपकर का स्थानांतरण	0	0	0	0	154
प्राप्त केंद्रीय निधियों के विरुद्ध सीएसएस का योगदान साझा करें	6,132	6,957	7,972	7,278	7,421
ब्याज वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान	235	241	478	480	425
कुल	6,472	7,254	8,694	7,910	8,000
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में अनम्य व्यय	13	13	15	13	12
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	23.97	22.73	21.74	22.27	22.35
पेंशन पर व्यय	11.83	10.64	11.47	12.13	11.70
ब्याज भुगतान	9.58	9.40	9.77	10.01	9.35
कुल	45.42	42.74	42.98	44.41	43.40

2021-22 में 44.41 प्रतिशत के सापेक्ष 2022-23 के दौरान वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन का सम्मिलित योगदान राजस्व व्यय का 43.40 प्रतिशत था, जबकि राजस्व प्राप्तियों में इसकी हिस्सेदारी 2021-22 में 39.99 प्रतिशत के सापेक्ष 2022-23 में काफी कम होकर 36.07 प्रतिशत हो गई।

ब्याज अदायगी

2021-22 में 8.57 प्रतिशत के सापेक्ष 2022-23 में ब्याज भुगतान की वृद्धि दर (-)0.76 प्रतिशत रही। राजस्व प्राप्तियों की उच्च वृद्धि दर और वर्ष के दौरान

आंतरिक ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज भुगतान में कमी के कारण राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत 2021-22 में 9.02 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 7.77 प्रतिशत हो गया।

पेंशन भुगतान

झारखण्ड सरकार ने 2022-23 के दौरान अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में ₹ 7,402.32 करोड़ (नियोक्ता के योगदान के रूप में एनएसडीएल को हस्तांतरित ₹ 400.85 करोड़ को छोड़कर) का भुगतान किया। नियोक्ता के योगदान (₹ 7,803.17 करोड़) सहित कुल पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ क्रमशः राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का 7.77 प्रतिशत और 9.35 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान किए गए कुल वेतन एवं मजदूरी की तुलना में कुल पेंशन भुगतान का प्रतिशत 52.36 प्रतिशत था।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त दायित्व

1 दिसम्बर 2004 को या उसके बाद बहाल किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (रा.पे.प्र.) में रखा गया है। इस योजना के संदर्भ में, कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है जिसके विरुद्ध 1 अप्रैल 2019 से मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा भी दिया जाता है तथा सम्पूर्ण राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित कर दी जाती है।

झारखण्ड राज्य सरकार ने 1 सितम्बर 2022 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लेने की अधिसूचना जारी कर दी है। 1,16,326 पात्र कर्मचारियों में से 1,14,436 कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुना है। शेष 1,890 कर्मचारियों ने कोई विकल्प नहीं चुना है और इस प्रकार एनपीएस के साथ बने हुए हैं।

2022-23 के दौरान ₹ 400.85 करोड़ नियोक्ता योगदान को एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित किया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल. के द्वारा नामित निधि प्रबंधक को कर्मचारियों के योगदान से प्राप्त ₹ 341.30 करोड़ के विरुद्ध ₹ 286.51 करोड़ की प्राप्ति हस्तांतरित किया। वर्ष 2022-23 के अंत तक लोक लेखा में (मुख्य शीर्ष 8342-117- परिभाषित योगदान पेंशन योजना) ₹ 78.94 करोड़ शेष रह गयी।

अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के घटक जिनमें रक्षित निधि में योगदान, सरकार द्वारा एकत्र किए गए उपकर का हस्तांतरण, प्राप्त केंद्रीय निधि के विरुद्ध सीएसएस का शेयर योगदान और ब्याज वाले निधि पर ब्याज शामिल है, इसमें 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान ₹ 6,472 करोड़ से ₹ 8,694 करोड़ के बीच उतार-चढ़ाव आया। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, अनम्य व्यय में 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव आया। आगे, पिछले वर्ष (₹ 7,910 करोड़) की तुलना में 2022-23 के दौरान अनम्य व्यय (₹ 8,000 करोड़) 1.14 प्रतिशत बढ़ गया।

सब्सिडी

जैसा कि तालिका 2.15 में दिए गए विवरण से देखा जा सकता है, पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान सब्सिडी में कमी आई है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2021-22 में 8.11 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 5.09 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2021-22 में नौ प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 6.13 प्रतिशत हो गई।

2022-23 के दौरान मुख्य रूप से प्रमुख शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म (₹ 1,271.67 करोड़ से) और 2801-बिजली (₹ 182 करोड़ से) के तहत सब्सिडी में कमी आई और 3456-जन आपूर्ति (₹ 48.39 करोड़ से) के तहत वृद्धि हुई। वित्त लेखे के परिशिष्ट-II के अनुसार सिंचाई हेतु कोई अनुदान नहीं दिया गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान सब्सिडी में कमी मुख्य रूप से किसानों को ऋण माफी योजना के लिए सब्सिडी में ₹ 1,184 करोड़ और बागवानी विकास सब्सिडी में ₹ 72 करोड़ (मुख्य शीर्ष 2401 के तहत) की कमी के कारण हुई।

2022-23 के दौरान देखा गया कि मुख्यमंत्री सब्सिडी योजना के तहत दोपहिया वाहनों की सवारी के लिए पेट्रोल की खरीद के लिए ₹ 61.25 करोड़ का बजट प्रदान किया गया था जिसमें से ₹ 6.07 करोड़ खर्च किए गए।

तालिका 2.15: वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	2,092	4,275	3,208	5,653	4,087
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	3.73	7.32	5.71	8.11	5.09
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	4.13	7.57	5.41	9.00	6.13

स्रोत: वित्त एवं विनियोग लेखे

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। विवरण तालिका 2.16 में दी गई है।

तालिका 2.16: संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
स्थानीय निकायें					
नगर निगम एवं नगरपालिका	1,748.50	1,505.45	1,930.03	1,042.33	1,266.41
पंचायती राज संस्थान	2,937.69	2,497.70	1,771.20	772.76	1,462.57
कुल (अ)	4,686.19	4,003.15	3,701.23	1,815.09	2,728.98
(ब) अन्य					
विश्वविद्यालय	621.08	1,265.29	1,771.17	1,807.60	2,393.67
विकास प्राधिकरण	3,952.30	10,771.73	8,283.26	8,751.59	8,033.52
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	0	1,753.28	2,119.77	2,469.66	1,000.70
अन्य संस्थान	8,716.24	1,398.01	4,202.24	4,786.01	8,037.18
कुल (ब)	13,289.62	15,188.31	16,376.44	17,814.86	19,465.07
कुल (अ+ब)	17,975.81	19,191.46	20,077.67	19,629.95	22,194.05
वेतन के लिए सहायता अनुदान	1,877.41	1,386.79	2,871.82	2,914.63	3,253.09
गैर-वेतन के लिए सहायता अनुदान	8,727.35	10,725.29	10,835.98	11,356.68	12,889.08
पूँजी परिसंपत्तियों के परिनिर्माण के लिए सहायता अनुदान	7,371.03	7,079.39	6,369.87	5,358.63	6,051.88
वस्तुओं के रूप में सहायता अनुदान	राज्य सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी				
राजस्व व्यय	50,631	56,457	59,264	62,778	66,681
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता	35.5	33.99	33.88	31.27	33.28

2022-23 के दौरान, यूएलबी को वित्तीय सहायता में ₹ 224.08 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत प्रदान किए गए अधिक अनुदान (₹ 160.40 करोड़ से) के कारण हुई। पिछले वर्ष की तुलना में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान की अधिक प्राप्ति (₹ 646.50 करोड़ से) के कारण पीआरआई को वित्तीय सहायता में ₹ 689.81 करोड़ की वृद्धि हुई।

पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में 2021-22 तक घटती प्रवृत्ति देखी गई लेकिन 2022-23 के दौरान इसमें वृद्धि हुई। वेतन और गैर-वेतन उद्देश्य के लिए सहायता-अनुदान में वर्ष 2019-20 को छोड़कर जब वेतन के लिए सहायता-अनुदान पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया था, पिछले पाँच वर्षों के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। इसके अलावा, राजस्व व्यय में वित्तीय सहायता की हिस्सेदारी 2018-19 से 2022-23 के दौरान 31.27 प्रतिशत और 35.50 प्रतिशत के बीच दोलित रही।

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश

संविधान के अनुच्छेद 243 आई एवं 243 वाई में प्रावधान है कि राज्य के राज्यपाल, अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक

पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर, एक वित्त आयोग का गठन करेंगे जो नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगी तथा राज्य एवं यू.एल.बी. के बीच करों, शुल्कों आदि के निर्धारण, वितरण, यू.एल.बी. को सहायता अनुदान तथा वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राज्यपाल को सिफारिश प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार ने तीन राज्य वित्त आयोगों (एस.एफ.सी) का गठन किया था। पहले एस.एफ.सी की सिफारिशों केवल शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) के लिए थीं। दूसरे और तीसरे एस.एफ.सी. का गठन क्रमशः दिसम्बर 2009 और अप्रैल 2015 में किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए एस.एफ.सी के द्वारा कोई सिफारिश नहीं दी गई।

चौथे एस.एफ.सी के गठन की अधिसूचना भी राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2019 में जारी की गई थी, लेकिन जुलाई 2023 तक एस.एफ.सी. के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गयी थी।

पहले एस.एफ.सी. ने 2009-10 में राज्य द्वारा यू.एल.बी. के साथ करों को आवंटित/साझा नहीं करने के कारण ₹ 375 प्रति व्यक्ति की दर से “केंद्रीकृत नगर सेवा प्रावधान अनुदान” के प्रावधान के लिए सिफारिश की थी, जिसमें अगले चार वर्षों के लिए 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की व्यवस्था दी गयी थी। हालाँकि, न तो यू.एल.बी. की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई और न ही पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के आवंटन के लिए सिद्धांत को एस.एफ.सी. द्वारा निर्धारित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा पहले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया और यह निर्णय (अक्टूबर 2013) लिया गया था कि कर्मचारियों के वेतन को पूरा करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को 40 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। सभी प्रकार के सैरात³ स्वयं का राजस्व उत्पन्न करने के लिए यू.एल.बी. को स्थानांतरित कर दिया था। इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अनुदान जारी किया गया। आगे, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार झारखण्ड शहरी विकास निधि के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-19 के दौरान शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना (यू.आई.डी.पी) के लिए बजट प्रावधान बनाया। हालाँकि, निधि यू.एल.बी को हस्तांतरित नहीं की गई। 2018-19 के बाद राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया।


2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (पू. व्य.) वह प्राथमिक व्यय है जो स्थायी आधारभूत संरचना जैसे सड़क, भवन इत्यादि के निर्माण पर किया जाता है। केंद्र और राज्य दोनों में

³ सैरात का मतलब निगम की राजस्व अर्जित करने वाली परिसंपत्तियाँ जैसे सार्वजनिक भूमि, बाजार, तालाब इत्यादि।

पूँजीगत व्यय को बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/ ऑफ-बजट से पूरा किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कंपनियों/निगमों में किया गया निवेश भी शामिल है। पिछले पाँच वर्षों यानी 2018-19 से 2022-23 तक राज्य में पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति चार्ट 2.10 में दिया गया है।

चार्ट 2.10: राज्य में पूँजीगत व्यय



पूँजीगत व्यय में मुख्य बदलाव

पूँजीगत व्यय 2018-19 में ₹ 10,712 करोड़ से लगातार घटकर 2020-21 में ₹ 8,466 करोड़ हो गया और 2022-23 में बढ़कर ₹ 14,016 करोड़ हो गया। 2022-23 के दौरान, पूँजीगत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर अधिक व्यय (227.28 प्रतिशत से) के कारण हुई। चालू वर्ष के दौरान सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 18.89 प्रतिशत बढ़ गया।

2022-23 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में ₹ 3,626 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण 'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय' (₹ 917 करोड़ से), 'जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास' (₹ 2,078 करोड़ से) पर पूँजीगत परिव्यय में वृद्धि है।

इसी प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय ₹ 874 करोड़ बढ़ गया। 2022-23 के दौरान बढ़ोतरी मुख्य रूप से ग्रामीण विकास (₹ 1,077 करोड़ से), कृषि और संबद्ध गतिविधियों (₹ 301 करोड़ से) और परिवहन (₹ 235 करोड़ से) के तहत हुई, जिसकी भरपाई खनन और धातुकर्म उद्योगों पर कम पूँजीगत परिव्यय (₹ 1,000 करोड़ से) से हुई।

राज्य का पूँजीगत व्यय (₹ 14,016 करोड़) वर्ष 2022-23 के बजट प्रावधान (₹ 2,591 करोड़ से) से कम था। 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान पूँजीगत परिव्यय में बड़े बदलाव तालिका 2.17 में दिखाए गए हैं।

तालिका 2.17: 2021-22 के तुलना में 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखाओं का मुख्य शीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि(+)/ कमी (-)
पूँजीगत परिव्यय			
4202-शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	94.34	1,011.79	917.45
4215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	505.11	1,840.08	1,334.97
4217-शहरी विकास	0.00	721.66	721.66
4225-अ.जा, अ.जन., अ.पि.व. और अन्य अल्पसंख्यकों के कल्याण	364.42	848.34	483.92
4402-मृदा एवं जल संरक्षण	198.81	456.15	257.34
4425-सहकारिता	91.42	116.04	24.62
4515-ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,142.75	2,219.58	1,076.83
4701-मध्यम सिंचाई	886.44	714.76	-171.68
4702-लघु सिंचाई	30.52	257.78	227.26
4801-ऊर्जा परियोजना	87.52	153.96	66.44
4853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	1,000.00	0.00	-1,000.00

2.4.4 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खंड चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

16 कंपनियों से प्राप्त नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार, छः⁴ कंपनियों का शुद्ध मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था, क्योंकि उनका संचयी शुद्ध मूल्य 31 मार्च 2023 तक (-) ₹ 10,026.68 करोड़ था।

आगे उनके लेखाओं के अनुसार, तीन कंपनियों को हानि हो रही थी और वर्ष 2022-23 के दौरान उनकी हानि ₹ 2,597.72 करोड़ थी। हानि में चल रही इन कंपनियों में से दो कंपनियों (जेबीवीएनएल और जेयूएसएनएल) को सरकार से वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 4,057.71 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ। चूँकि, हानि में चल रही इन कंपनियों को दिया गया ऋण राज्य के पूँजीगत व्यय में शामिल किया गया था, परिणामस्वरूप सरकार के परिसम्पत्तियों का उस स्तर तक अधिमूल्यन हुआ।

यह भी देखा गया कि इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कुल निवेश ₹ 32,061.58 करोड़ था, जिसमें से 31 मार्च 2023 तक राज्य द्वारा कुल निवेश ₹ 29,477.27 करोड़ था। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संचयी हानि 31 मार्च 2023 तक ₹ 13,479.88 करोड़ था।

⁴ झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (- ₹ 9,119.08 करोड़), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (- ₹ 823.30 करोड़), झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (- ₹ 36.15 करोड़), झारखण्ड कोलियरी लिमिटेड (- ₹ 2.99 करोड़), पतरातू एनर्जी लिमिटेड (- ₹ 16.39 करोड़) और करणपुरा एनर्जी लिमिटेड (- ₹ 28.72 करोड़)

सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश

31 मार्च 2023 को समाप्त राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार ने नवम्बर 2000 में राज्य के गठन के उपरांत ₹ 2,483.36 करोड़ का निवेश तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों⁵ (₹ 46.41 करोड़), 22 सरकारी कंपनियों (₹ 2,196.36 करोड़) और 22 सहकारी बैंकों और सोसायटीज़ (₹ 240.59 करोड़) में किया था। हालाँकि, 2016-17 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लेखाओं और राज्य के स्वीकृत्यादेश के सत्यापन से पता चला कि बजट वर्गीकरण में त्रुटियों के कारण अर्थात् उचित लघु शीर्ष के तहत निवेश प्रदान नहीं करने और शेयर पूँजी में निवेश को सहायता अनुदान के रूप में दर्शाये जाने के कारण सरकारी लेखे ने 2000-2016 के दौरान ₹ 124.54 करोड़ के निवेश को कम करके आँका था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, राज्य के वित्त विभाग ने 2020-21 के अंत में चार कंपनियों में ₹ 65 करोड़⁶ के निवेश को संशोधित कर समाशोधित कर लिया। हालाँकि, वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक पाँच संस्थाओं के विरुद्ध ₹ 59.54 करोड़⁷ का निवेश अभी भी असमायोजित था। निवेश पर प्रतिफल तालिका 2.18 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.18: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ उधार की लागत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	432.87	447.95	1,111.65	2,250.22	2,483.36
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00
सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.29	6.34	6.13	5.76	5.50
ब्याज दर तथा प्रतिफल में अंतर (प्रतिशत)	-6.29	-6.34	-4.78	-5.76	-5.50

स्रोत: वित्त लेखे

अपने निवेश पर कोई प्रतिफल नहीं मिलने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान इक्विटी के रूप में एक ग्रामीण बैंक, चार⁸ राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और तीन सहकारी समिति (शीर्ष एवं अन्य सहकारी समितियाँ: ₹ 10.00 करोड़, जनजातीय सहकारी विकास निगम: ₹ 0.50 करोड़ तथा सिद्धो-कान्हो कृषि तथा

⁵ राज्य सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 18.96 करोड़), झारखण्ड ग्रामीण बैंक, राँची (₹ 19.05 करोड़) और वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका (₹ 8.40 करोड़)।

⁶ झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वहन सिंचाई निगम: ₹ 5 करोड़; झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम: ₹ 35 करोड़; झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल व हस्तशिल्प विकास निगम: ₹ 10 करोड़ और झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड: ₹ 15 करोड़।

⁷ ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण: ₹ 39.14 करोड़; झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड: ₹ 2 करोड़; झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास और क्रय निगम लिमिटेड: ₹ 5 करोड़; झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड: ₹ 8.40 करोड़ और झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड: ₹ 5 करोड़।

⁸ झारखण्ड अन्वेषण एवं खनन कॉर्पोरेशन लिमिटेड: ₹ 1,000 करोड़; झारखण्ड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम: ₹ 3 करोड़; अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम: ₹ 11.50 करोड़, झारखण्ड केंद्रीय रेल परियोजना: ₹ 13.50 करोड़; और झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 50.00 करोड़।

वन्य उत्पाद राज्य सहकारी संघ लिमिटेड: ₹ 40 करोड़) में ₹ 233.14 करोड़ का निवेश किया।

14 नवम्बर 2000 तक दामोदर घाटी निगम (₹ 1,781.55 करोड़) और तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 100 करोड़) में इक्विटी के रूप में तत्कालीन बिहार राज्य द्वारा किये गए निवेश को अभी तक उत्तराधिकारी राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया गया है।

2.4.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

तालिका 2.18 में दिखाए गए संस्थाओं में इक्विटी निवेशों के अलावे राज्य सरकार इनमें से कई संस्थाओं और अपने कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम भी प्रदान करती है। 31 मार्च 2023 को बकाया ऋण व अग्रिम तथा ब्याज प्राप्तियों के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान तालिका 2.19 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 2.19: पाँच वर्षों के दौरान प्रदत्त और वसूली गई ऋण की मात्रा

(₹ करोड़ में)

प्रदत्त तथा वसूली गई ऋण की मात्रा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया ऋण का प्रारंभिक शेष	19,291.97	20,729.99	20,846.24	24,177.23	24,348.48
वर्ष के दौरान अग्रिम के रूप में दी गई राशि	1,485.59	165.43	3,379.77	1,462.98	4211.14
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	47.57	49.19	48.78	1,291.73	46.41
बकाया ऋण का अंत शेष	20,729.99	20,846.23	24,177.23	24,348.48	28,513.21
निवल जोड़	1,438.02	116.24	3,330.99	171.25	4164.73
प्राप्त ब्याज	14.72	38.91	22.62	35.88	70.55
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम पर ब्याज दर	0.08	0.19	0.11	0.15	0.29
सरकार के बकाया उधार पर भुगतित ब्याज दर	7.98	6.34	6.13	5.76	5.50
ब्याज भुगतान दर तथा प्राप्त ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत)	7.98	6.34	6.13	5.76	5.21

टिप्पणी- लेखों को पूर्णकृत करने के कारण 2020-21 में प्रारंभिक शेष ₹ 0.01 करोड़ से बढ़ गया

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के अंत में कुल बकाया ऋण (₹ 28,513 करोड़) का बड़ा भाग मुख्य रूप से ऊर्जा कंपनियों (₹ 27,519 करोड़) और जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 794 करोड़) के पास बकाया था।

मार्च 2023 के अंत में ऋणदाता संस्थाओं की लंबित बकाया राशि ₹ 3,707.08 करोड़ (मूलधन: ₹ 1,895.72 करोड़ और ब्याज: ₹ 1,811.36 करोड़) थी।

2011-12 में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 44 करोड़) का ऋण पूँजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के अधीन गलत बजटीय वर्गीकरण के कारण सरकारी लेखों में न्यूनोक्ति हुई। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) को प्रदत्त ₹ 7,222.18 करोड़ के ऋण को बोर्ड से प्राप्तियों के रूप में सरकारी लेखों में दर्शाया जाना जारी है, जबकि बोर्ड जनवरी 2014 में विभिन्न कंपनियों में विभाजित हो गया था। इस प्रकार, राज्य की परिसंपत्तियों में ₹ 7,222.18 करोड़ की सीमा तक अत्योक्ति हुई।

आगे, 14 नवम्बर 2000 तक पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (₹ 608 करोड़) के ऋण का बँटवारा उत्तराधिकारी राज्यों बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं किया गया।

2.4.6 अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी में प्रवृत्तियों का आकलन पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का संकेत देता है। अधूरे परियोजनाओं/कार्यों पर धनराशि के अवरुद्ध होने से, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लंबे समय के लिए इच्छित लाभों से राज्य को वंचित रहना पड़ता है। पुनः, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यावयन के लिए लिया गया उधार, ऋण और ब्याज देनदारियों की सेवा के रूप में अतिरिक्त बोझ बढ़ाता है।

अधूरी परियोजनाओं से संबंधित वर्ष-वार और विभाग-वार सूचना जो 31 मार्च 2023 तक या उससे पहले पूर्ण की जानी थी, क्रमशः तालिका 2.20 और तालिका 2.21 में दी गई है।

तालिका 2.20: 31 मार्च 2023 तक अधूरी परियोजनाओं का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

पूर्ण होने का वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2023 तक)	संशोधित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्या	राशि
2018 तक	32	538.22	382.28	4	79.65
2019	15	649.11	465.72	-	-
2020	55	1,642.41	1,066.95	-	-
2021	32	1,254.28	774.23	2	157.76
2022	70	1,804.80	580.87	-	-
2023	5	26.99	21.72	-	-
कुल	209	5,915.81	3,291.77	6	237.41

तालिका 2.21: 31 मार्च 2023 तक अधूरी परियोजनाओं का विभाग-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अनुमानित राशि	व्यय	संशोधित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्या	बढी राशि
सड़क निर्माण विभाग	62	3,126.10	1,935.56	1	141.18
ग्रामीण विकास विभाग	24	157.06	107.88	2	23.90
जल संसाधन विभाग	57	2,018.76	860.51	2	53.84
ग्रामीण कार्य विभाग	46	102.54	61.70	-	-
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	15	400.67	265.92	1	18.49
भवन निर्माण विभाग	5	110.68	60.20	0	0
कुल	209	5,915.81	3,291.77	6	237.41

स्रोत: वित्त लेखे

209 परियोजनाओं में से केवल छः परियोजनाओं की संशोधित लागत प्रदान की गई, जिससे पता चला कि उन छः परियोजनाओं में ₹ 177.23 करोड़ की अनुमानित लागत उन परियोजनाओं के समय पर पूरा न होने के कारण ₹ 237.41 करोड़ तक बढ़ गई। चूँकि, शेष परियोजनाओं का विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए उनकी संशोधित लागतें वित्त लेखे में नहीं दर्शाया गया था और इस प्रकार, उसकी गणना नहीं की जा सकी।

2.4.7 लोक लेखे में स्थानांतरित किए गए पूँजीगत व्यय

राज्य के वित्त लेखे से यह देखा गया कि ₹ 3,177.21 करोड़ समेकित निधि के पूँजीगत शीर्ष लेखे से लोक लेखा के स्थानीय निधि जमा शीर्ष में स्थानांतरित किए गए थे, जैसाकि तालिका 2.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.22: समेकित निधि से लोक लेखा में स्थानांतरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष			राशि	
	से	तक			
1	4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	206.45
2	4059	लोक कार्य पर पूँजीगत परिव्यय		स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	13.41
3	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	1.84
4	4202	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		स्थानीय निधि का जमा- 101- जिला निधि	8.00
				स्थानीय निधि का जमा- 109- पंचायत निकाय निधि	17.79
5	4210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय		स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	930.19
				स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	595.22
6	4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय		स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	391.66
7	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	619.54
8	4402	मृदा और जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	390.61	
9	4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	2.50	
कुल					3,177.21

लोक लेखे में निधि का खाता अंतरण एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में धन का हस्तांतरण मात्र था और वास्तविक व्यय नहीं था, जिसके कारण पूँजीगत संभाग के अंतर्गत व्यय को अधिक दिखाया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान जमा शीर्ष से स्थानांतरित राशियों का व्यय राज्य के लेखाओं में विवरण की अनुपलब्धता के कारण पता लगाया नहीं जा सका।

आगे, यह देखा गया कि लघु शीर्ष '108-लोक निर्माण कार्य जमा' अंतर्गत ₹ 4,258.01 करोड़ के प्रारम्भिक शेष में ₹ 1,738.47 करोड़ जोड़ा गया था तथा ₹ 1,766.91 करोड़ व्यय किया गया, जिससे मार्च 2023 के अंत में ₹ 4,229.57 करोड़ का शेष रहा। इसी प्रकार, ₹ 850.24 करोड़ लघु शीर्ष '106- व्यक्तिगत जमा' के अंतर्गत ₹ 2,018.13 करोड़ के प्रारंभिक शेष में जोड़ा गया तथा वर्ष के दौरान ₹ 499.59 करोड़ व्यय किया गया, जिससे ₹ 2,368.79 करोड़ का शेष रहा।

2.4.8 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं के तहत राज्य की संसाधन उपलब्धता

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी) सरकार या वैधानिक इकाई और एक निजी क्षेत्र की इकाई के बीच एक व्यवस्था है, जो बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए जनता की बढ़ती माँग को पूरा करने में राज्य को सक्षम बनाती है, और आधारभूत संरचना प्रदान करती है। तालिका 2.23 झारखण्ड में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) के अंतर्गत परियोजनाओं दर्शाता है।

तालिका 2.23: 2022-23 में पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार-ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण		कार्यशील	
		संख्या	अनुमानित व्यय	संख्या	अनुमानित व्यय
1	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	-	-	2	अनुपलब्ध
2	ऊर्जा	1	181.43	1	अनुपलब्ध
3	स्वास्थ्य	-	-	1	अनुपलब्ध
4	पर्यटन	-	-	1	अनुपलब्ध
5	सड़क एवं पुल	8	2,831.19	2	अनुपलब्ध
कुल		9	3,012.62	7	अनुपलब्ध

स्रोत: www.pppinindia.gov.in

2.4.9 व्यय की प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी राजकोषीय प्राथमिकता (व्यय की एक श्रेणी के तहत कुल व्यय का अनुपात) को कम माना जाता है, यदि इस पर आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम होता है। कुल व्यय से इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता को उतना बेहतर माना जाता है। राज्य के व्यय की प्राथमिकता तालिका 2.24 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.24: स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य के व्यय की प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	पूँ. व्यय/ कु.व्य.	सा. क्षे. व्यय/ कु.व्य.	आ. क्षे. व्यय/ कु.व्य.	वि. व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
सामान्य श्रेणी के राज्य (2017-18)	15.56	36.65	31.17	67.82	15.17	5.09
झारखण्ड (2017-18)	21.32	32.64	40.46	73.10	12.71	4.41
सामान्य श्रेणी के राज्य (2022-23)	15.22	38.11	29.17	67.28	14.85	5.68
झारखण्ड (2022-23)	21.47	38.70	32.82	71.53	14.77	6.23


जैसा कि तालिका 2.24 से देखा जा सकता है, 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय, विकासात्मक व्यय और आर्थिक क्षेत्र व्यय का कुल व्यय (टी.ई.) से अनुपात में 2017-18 के दौरान इसके अनुपात की तुलना में गिरावट हुई है, जबकि अन्य क्षेत्रों ने वर्ष के दौरान सुधार दिखाया। 2017-18 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय में सामाजिक क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र व्यय का अनुपात काफी बढ़ गया।

आगे, तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2022-23 के दौरान, राज्य के कुल व्यय से सभी क्षेत्रों पर व्यय का अनुपात शिक्षा पर व्यय को छोड़कर जो थोड़ा कम था, सामान्य श्रेणी के राज्यों के अनुपात से अधिक था। 2017-18 की तुलना में व्यय का केंद्र-बिंदु आर्थिक क्षेत्र से सामाजिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है, जैसा कि तालिका 2.24 से देखा जा सकता है।

2.4.10 वस्तु शीर्ष के अनुसार व्यय

वित्त लेखे प्रायः लघु शीर्ष स्तर तक के लेन-देन को दर्शाता है। हालाँकि, वित्त लेखे के विवरण चार में वस्तु शीर्ष के स्तर तक का विवरण दिखाया जाता है। चार्ट 2.11 प्रमुख वस्तुओं पर राजस्व व्यय के विषय/ उद्देश्य की हिस्सेदारी दिखाता है।

चार्ट 2.11: मुख्य मदों पर राजस्व व्यय (प्रतिशत में)



जैसा कि चार्ट 2.11 में दर्शाया गया है, वर्ष 2022-23 के दौरान वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर कुल राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा

(49.54 प्रतिशत) खर्च किया गया। राज्य में पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान पर कुल राजस्व व्यय का नौ प्रतिशत से ज्यादा व्यय किया गया, जिसका मुख्य हिस्सा (₹ 3,157.22 करोड़) विकासात्मक प्राधिकारियों को प्रदान किया गया।

2.5 लोक लेखा

प्राप्तियाँ और संवितरण के कुछ लेनदेन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत निर्धारित लोक लेखा में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। इस संबंध में सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष तालिका 2.25 में दिया गया है।

तालिका 2.25: 31 मार्च 2023 तक लोक लेखाओं में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
I. लघु बचत, भविष्य निधि आदि	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-)1,211.11	(-)1,216.86	(-)1,194.40	(-)1,001.19	(-)1,016.98
J. रक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित रक्षित निधि	(-)1,930.09	(-)5,948.02	(-)6,320.39	(-)5,904.48	(-)5,131.79
	(ब) ब्याज रहित रक्षित निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. जमा व अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	(-)12.64	(-)39.55	(-)25.33	(-)24.15	(-)78.94
	(ब) ब्याज रहित जमा	(-)19,853.80	(-)21,065.20	(-)24,331.45	(-)23,585.14	(-)26,876.14
	(स) अग्रिम	6.28	7.15	19.67	19.67	17.66
L. उचंत एवं विविध	(अ) उचंत	5.42	(-)91.29	(-)146.35	(-)119.25	(-)414.30
	(ब) अन्य लेखे	207.09	3,117.62	2,855.90	4,519.46	5,187.74
	(स) विदेशी सरकार के साथ लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(द) विविध	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60
M. प्रेषण	(अ) मनीऑर्डर एवं अन्य प्रेषण	(-)118.85	(-)114.25	(-)133.68	(-)125.38	(-)87.35
	(ब) अंतर सरकारी समायोजन खाता	19.57	31.95	7.23	12.74	10.81
कुल		(-)22,888.13	(-)25,318.45	(-)29,267.20	(-)26,206.12	(-)28,387.69

नोट: (+) डेबिट शेष एवं (-) क्रेडिट शेष को दर्शाते हैं

2022-23 के दौरान क्रेडिट शेष में वृद्धि, मुख्य रूप से शीर्ष 8448-स्थानीय निधि की जमा (₹ 2,742.65 करोड़ से) के अंतर्गत अन्य निधियों के रूप में जमा के तहत जमा व अग्रिम में वृद्धि के कारण हुई।

2.5.2 ब्याज सहित रक्षित निधि

रक्षित निधि राज्य सरकार के लोक खाते के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। ये निधियाँ राज्य के समेकित निधि से अंशदान या अनुदानों से बनाये जाते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के दो ब्याज सहित आरक्षित निधि थी; (1) राज्य आपदा मोचन निधि (2) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि।

राज्य आपदा मोचन निधि

एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश 2015 के कंडिका 7 के अनुसार, राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त हिस्से के साथ-साथ अपने हिस्से को एस.डी.आर.एफ. के लोक लेखा में प्राप्त के 15 दिनों के अन्दर हस्तांतरित करना आवश्यक होता है। किसी भी देरी के लिए राज्य सरकार को देरी के दिनों के हिसाब से ब्याज सहित राशि (आर.बी.आई. की बैंक दर) जारी करने की आवश्यकता होती है।

एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश 2015 के कंडिका 19 और 20 के अनुसार, राज्य द्वारा निधि के तहत शेष का (अ) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ (ब) नीलामी की गई कोषागार विपत्रों और (स) अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ ब्याज वाले जमा और जमा के प्रमाण-पत्र में निवेश किया जाना था। झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 400 करोड़ अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में निवेश किया गया।

आगे, दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को ओवर ड्राफ्ट पर देय ब्याज की दर (7.57 प्रतिशत) से गैर-निवेशित शेष राशि पर भुगतान करना था, जिसे उसी कोष में जोड़ा जाना था। हालाँकि, झारखण्ड सरकार ने एस.डी.आर.एफ. को इसके गठन के समय से ही कोई ब्याज भुगतान नहीं किया था, जिससे 2011-23 की अवधि के दौरान लागू ब्याज दरों पर ब्याज ₹ 1,002.80 करोड़ हो गया था। इसमें से, केवल 2022-23 में अदत्त ब्याज ₹ 131.95 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2023 तक निधि में ₹ 1,111.26 करोड़ का अनिवेशित शेष सिर्फ खाता प्रविष्टि थी, जो वास्तविक नकद शेष को नहीं दर्शाते है। इस तरह, निधि के संचालन के शुरुआत से अदत्त ब्याज राज्य के अलेखांकित देनदारियों को दर्शाता है। **तालिका 2.26** राज्य आपदा मोचन निधि पर भारित व्यय के विवरण को दर्शाता है।

तालिका 2.26: एस.डी.आर.एफ को भारत व्यय की विवरणी

(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	लेखे के लघु शीर्ष	2022-23 के दौरान व्यय
2245- प्राकृतिक आपदा पर राहत 02- बाढ़, चक्रवात आदि	101- नि: शुल्क राहत	2.42
	113- घर के मरम्मत और पुनर्निर्माण	3.32
	114- किसानों को कृषि इनपुट के खरीदी के लिए सहायता	0.82
उप-योग		6.56
2245- प्राकृतिक आपदा पर राहत 05- राज्य आपदा मोचन निधि	101- रक्षित निधि एवं जमा निधि में स्थानांतरण-रा.आ.मो.नि.	0.00
	901- कटौती - राज्य आपदा मोचन निधि से मिली राशि	850.42
उप-योग		(-)850.42
2245-प्राकृतिक आपदा पर राहत 80- सामान्य	निदेशन एवं प्रशासन, आपदा तैयारी का प्रशिक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन इत्यादि	318.55
उप-योग		318.55
कुल योग		(-)525.31

उपरोक्त के अलावा, केंद्र सरकार ने भी वर्ष के दौरान चक्रवाती तूफान 'यास' के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में ₹ 200 करोड़ जारी किए और राज्य सरकार ने शीर्ष '2245-02-101-10-एन.डी.आर.एफ. से प्राप्त राहत सहायता (केन्द्र प्रायोजित योजना)' के तहत बजट प्रावधान किया। निधि का उपयोग नहीं किया गया तथा विभाग द्वारा वर्ष के अंत में अभ्यर्पित कर दिया गया। चक्रवात के पूर्वानुमान में भारत सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की गई जो घटित नहीं हुई और राज्य के नकद शेष में राशि पड़ी रही। राज्य द्वारा 2022-23 में ₹ 200 करोड़ की अव्ययित राशि एस.डी.आर.एफ. को हस्तांतरित की गई है।

राज्य आपदा शमन निधि

राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) (सी) के तहत किया जाना है। यह कोष विशेष रूप से राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) दिशानिर्देश और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के तहत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य के लिए है। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 तक मुख्य शीर्ष 8121-130-राज्य आपदा शमन निधि के तहत एसडीएमएफ का गठन नहीं किया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से ₹ 113.60 करोड़ (वर्ष 2021-22 से संबंधित) प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 37.80 करोड़ था। राज्य सरकार ने निधि का निर्माण नहीं किया और केंद्र

सरकार से प्राप्त राशि को अपने हिस्से (कुल ₹ 151.40 करोड़) के साथ हस्तांतरित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व अधिशेष को अधिक और राजकोषीय घाटे को कम बताया गया।

राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि

क्षतिपूरक वनीकरण निधि (लेखा पद्धति) नियम, 2018 के अनुसार, उपयोगकर्ता एजेंसी से प्राप्त सभी धनराशि प्रथम दृष्टया मुख्य शीर्ष '8336- सिविल जमा' के अंतर्गत लघु-शीर्ष '103- राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा करने की आवश्यकता थी। तत्पश्चात, इसका 90 प्रतिशत मुख्य-शीर्ष '8121-सामान्य एवं अन्य रक्षित निधि' के अंतर्गत लघु-शीर्ष- '129-राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा करना था। शेष 10 प्रतिशत मासिक आधार पर राष्ट्रीय निधि के मुख्य शीर्ष '8336-सिविल जमा-11-झारखण्ड' के अंतर्गत लघु-शीर्ष '102-राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा' को अंतरित करना था।

इसके अतिरिक्त, विशेष प्राधिकारी से राज्य का 90 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होने पर (एक बार के लिए) इसे मुख्य-शीर्ष '8121- सामान्य और अन्य रक्षित निधि' के अंतर्गत लघु शीर्ष- '129- राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा करना था।

रा.क्ष.व.नि. का आरंभिक शेष ₹ 4,178.80 करोड़ था जिसमें 2022-23 के दौरान कोष में प्राप्त ₹ 161.56 करोड़ और वर्ष के दौरान कोष से ₹ 319.84 करोड़ व्यय के बाद 31 मार्च 2023 को ₹ 4,020.52 करोड़ अंतिम शेष रहा।

चूँकि, रा.क्ष.व.नि. एक ब्याज वहन करने वाली रक्षित निधि है, इसलिए सरकार को ₹ 131.99 करोड़ का ब्याज देना था जिसकी गणना वर्ष के दौरान ₹ 319.84 करोड़ के व्यय को छोड़कर 1 जनवरी को आरबीआई की रिवर्स रेपो दर के अनुसार {शुरुआती शेष (₹ 4,178.80 करोड़) पर 3.35 प्रतिशत} की गई। आगे, पिछले वर्ष से संबंधित ₹ 21.57 करोड़ के ब्याज को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार द्वारा कोष को भुगतान किया जाने वाला कुल ब्याज ₹ 161.56 करोड़ हो गया। इसके गैर-हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व अधिशेष को अधिक और राजकोषीय घाटे को कम बताया गया।

2.5.3 ब्याज रहित रक्षित निधि

समेकित हास निधि

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, राज्य ने बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि के कारण देनदारियों सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित हास निधि की स्थापना (2016-17) की है।

झारखण्ड सरकार ने 2016-17 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित हास निधि की स्थापना की। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य पिछले वर्ष के अंत में अपनी बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण + लोक लेखा) का न्यूनतम

0.50 प्रतिशत राज्य सरकार के समेकित हास निधि (कुल आंतरिक ऋण और लोक लेखा) में योगदान कर सकते हैं।

वर्ष 2022-23 के शुरुआत में झारखण्ड सरकार का बकाया ऋण ₹ 1,13,482.50 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 500 करोड़ का एक बजट प्रावधान बनाया गया तथा हास निधि में अंतरण किया गया और प्रारम्भिक शेष में ₹ 503.87 करोड़ जोड़ा गया, जिससे मार्च 2023 के अंत में निधि में ₹ 1,003.87 करोड़ का अंत शेष हो गया। 2022-23 के दौरान, ₹ 500 करोड़ इस निधि से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में निवेश किये गये।

प्रत्याभूति मोचन निधि

भारत के संविधान में प्रावधान है कि कोई राज्य सरकार, भारतीय सीमा के भीतर, अपने समेकित निधि की सुरक्षा पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, समय-समय पर अपनी विधायिका के अधिनियम द्वारा तय कर सकती है और जैसा तय किया गया हो ऐसी सीमाओं के अंदर प्रत्याभूति दे सकती है।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जारी किए गए बॉन्ड और अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी प्रत्याभूति से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को एक प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) का गठन करना चाहिए था। हालाँकि, निधि का सृजन नहीं किया गया है।

झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे के अनुसार 31 मार्च 2023 तक राज्य द्वारा ₹ 4,998.38 करोड़ की प्रत्याभूति दी गयी थी।

श्रम उपकर

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 की धारा 5 के अनुसार, ठेकेदारों से श्रम उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि को झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था।

वित्त लेखे के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार ने श्रम उपकर के रूप में ₹ 68.81 करोड़ एकत्र किए, जिससे 2008-23 की अवधि के दौरान सरकारी परियोजनाओं को निष्पादित करने वाले ठेकेदारों से सरकार द्वारा उपकर के रूप में कुल ₹ 733.00 करोड़ का संग्रह हुआ। एकत्रित उपकर को मार्च 2022 के अंत तक श्रम कल्याण बोर्ड निधि में स्थानांतरित नहीं किया गया, जिससे प्रासंगिक वर्षों (2008-22) के दौरान राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति हुई और राज्य के राजकोषीय घाटा की न्यूनोक्ति हुई। हालाँकि, 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को ₹ 154 करोड़ हस्तांतरित (जून 2022) किये गये। **तालिका 2.27** सरकार द्वारा एकत्र किए गए और बोर्ड को हस्तांतरित किए गए श्रम उपकर को दर्शाती है।

तालिका 2.27: सरकार द्वारा एकत्र किए गए और बोर्ड को हस्तांतरित किए गए श्रम उपकर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर के रूप में प्राप्त राशि	सरकार द्वारा हस्तांतरित राशि	सरकार के पास बकाया राशि
2016-17 तक	312.90	5.08	573.92
2017-18	80.77	-	
2018-19	79.81	-	
2019-20	76.70	-	
2020-21	59.15	-	
2021-22	54.86	-	
2022-23	68.81	154.00	
कुल	733.00	159.08	573.92

झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने 2021-22 तक के अपने लेखे को अंतिम रूप दे दिया। 2022-23 तक निधियों की प्राप्तियाँ और इसका उपयोग जैसा बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तालिका 2.28 में दिखाया गया है।

तालिका 2.28: बोर्ड द्वारा प्राप्त राशि और उसकी उपयोगिता का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सरकार द्वारा दी गई राशि	बोर्ड द्वारा प्रत्यक्षतः प्राप्त उपकर	कुल प्राप्तियाँ	योजनाओं पर बोर्ड द्वारा व्यय राशि ⁹	स्थापना पर व्यय राशि	कुल व्यय	अनुपयुक्त शेष राशि
(1)	(2)	(3)	(2+3)=4	(5)	(6)	(5+6)=7	(4-7)=8
2015-16 तक	5.08	252.16	257.24	104.08	1.66	105.74	151.50
2016-17	0.00	70.26	70.26	48.33	1.29	49.62	20.64
2017-18	0.00	74.01	74.01	41.64	0.90	42.54	31.47
2018-19	0.00	90.19	90.19	59.19	0.89	60.08	30.10
2019-20	0.00	120.00	120.00	75.78	0.83	76.61	43.40
2020-21	0.00	171.65	171.65	101.30	1.60	102.90	68.75
2021-22	0.00	124.31	124.31	101.64	2.23	103.87	20.44
2022-23	154.00	371.92	525.92	94.26	1.98	96.24	429.68
कुल	159.08	1,274.50	1,433.58	626.22	11.38	637.60	795.98

स्रोत: झारखण्ड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड

2009-10 से 2022-23 की अवधि के दौरान कल्याणकारी योजनाओं पर ₹ 626.22 करोड़, जबकि स्थापना पर ₹ 11.38 करोड़ खर्च किए गए। बोर्ड ने उपलब्ध धनराशि का केवल 44.48 प्रतिशत ही उपयोग किया।

अन्य उपकर/शुल्क/अधिभार

वित्त लेखे के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान भूमि उपकर के रूप में ₹ 104.49 करोड़ एकत्र किए जिससे 2008-23 की अवधि के दौरान कुल

⁹ झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण दिनांक 20.09.2023 के अनुसार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत 24 योजनाएं चल रही हैं।

₹ 184.73 करोड़ का संग्रह हुआ। हालाँकि, मार्च 2023 तक राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट निधि (मुख्य शीर्ष '8448-101 जिला निधि) में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई थी।


इस प्रकार, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार द्वारा श्रम कल्याण बोर्ड (श्रम उपकर: ₹ 68.81 करोड़) और जिला परिषदों (भूमि उपकर: ₹ 104.49 करोड़) को हस्तांतरित किया जाने वाला कुल उपकर ₹ 173.30 करोड़ था। इसके हस्तांतरण नहीं करने के परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई।

2.5.4 लोक दायित्व प्रबंधन

लोक दायित्व प्रबंधन राज्य की देनदारी के वित्त पोषण हेतु आवश्यक निधि की उगाही, जोखिम तथा मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने तथा अपने सम्प्रभु ऋण लक्ष्यों के प्रबंधन, जैसा कि सरकार द्वारा किसी स्थापित कानून या अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के द्वारा निर्धारित की गयी हो, हेतु रणनीति की स्थापना एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया है।

2018-19 से 2022-23 की अवधि में राज्य के कुल बकाया देयता की स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता चार्ट 2.12 में दिखाई गई है। 31 मार्च 2023 को राज्य के दायित्वों एवं सम्पत्तियों का सारांश परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है।

चार्ट 2.12: बकाया लोक ऋण और स.रा.घ.उ. में इसका प्रतिशत



नोट: बकाया ऋण में 2020-21 में ₹ 1,689.00 करोड़ और 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल हैं, जो जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त किया गया था।

2.5.4.1 देनदारी विवरण: अवयव

राज्य सरकार के कुल देनदारी में आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी किए

गए विशेष प्रतिभूतियाँ और वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केंद्र सरकार से ऋण तथा लोक लेखा दायित्व समाहित होता है।

2018-23 के दौरान लोक दायित्व और लोक लेखा दायित्वों की प्राप्तियों और देयताओं के पश्चात् धन की उपलब्धता का विवरण तालिका 2.29 में दिया गया है।

तालिका 2.29: घटक वार दायित्व प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल बकाया दायित्व(अ+ब)	83,782.93	94,406.60	1,09,184.99[#]	1,13,482.47[#]	1,18,448.22
अ. लोक दायित्व	60,775.27	66,136.98	76,938.35	82,531.53	84,944.37
(i) आंतरिक दायित्व	58,436.19	63,545.46	71,956.90	74,538.31	73,580.43
(ii) भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,339.08	2,591.52	4,981.45	7,993.22	11,363.94
ब. लोक लेखा का उत्तरदायित्व	23,007.66	28,269.62	32,246.24	30,950.94	33,503.85
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,211.11	1,216.85	1,194.40	1,001.19	1,016.98
ब्याज सहित रक्षित निधि	1,930.09	5,948.03	6,720.39	6,340.46	5,531.78
ब्याज सहित जमा	12.64	39.55	25.33	24.15	78.94
ब्याज रहित जमा	19,853.82	21,065.19	24,306.12	23,585.14	26,876.15
स. गैर बजटीय उधार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बकाया उधार के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	8.67	12.68	15.65	3.94	4.38
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	3,05,695	3,10,305	2,96,664	3,58,863	3,93,722
कुल उत्तरदायित्व /स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	27.41	30.42	36.23*	30.93*	30.08
उधार एवं अन्य उत्तरदायित्व (वित्त लेखे के विवरण 6 के अनुसार)					
कुल प्राप्तियाँ	22,223.80	30,980.35	32,562.62	25,623.42	31,856.35
कुल पुनर्भुगतान	15,535.90	20,356.68	17,784.23	21,325.90	26,890.62
ब्याज भुगतान	4,851.97	5,307.71	5,790.00	6,286.05	6,238.29
निधि की निवल उपलब्धता	1,835.93	5,315.96	8,988.39	(-)1,988.53	(-)1,272.56
पुनर्भुगतान/ प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	91.74	82.84	72.40	107.76	103.99

बकाया ऋण में 2020-21 में ₹ 1,689.00 करोड़ और 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल हैं, जो जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त किया गया था।


* कुल बकाया/ स.रा.घ.उ. अनुपात में जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा दिए गए बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल नहीं हैं, क्योंकि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

बिहार और झारखण्ड के उत्तराधिकारी राज्यों के बीच समग्र बिहार राज्य की वित्तीय देनदारियों का बंटवारा अब तक नहीं किया गया है।


उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता में 2018-19 से 2022-23 के दौरान (-) ₹ 1,988.53 करोड़ और ₹ 8,988.39 करोड़ के बीच में व्यापक दोलन हुआ। 2018-19 से 2020-21 के दौरान लगातार बढ़ती प्रवृत्ति के बाद, यह 2021-22 में नकारात्मक ₹ 1,989.53 करोड़ और 2022-23 में नकारात्मक ₹ 1,272.56 करोड़ तक कम हो गया। 2022-23 के दौरान निधि की उपलब्धता में कमी का मुख्य कारण सरकार द्वारा बाजार ऋण के रूप में कम उधार (₹ 1,000 करोड़ से) तथा वर्ष के दौरान बिना किसी प्राप्ति के क्षतिपूर्ति तथा अन्य बॉन्ड और राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एफ.एफ) का पुनर्भुगतान था।

वर्ष 2021-22 में 21.31 प्रतिशत के कमी के विरुद्ध वर्ष 2022-23 के दौरान, लोक ऋण और अन्य दायित्वों के तहत राज्य की प्राप्तियों में 24.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लोक ऋण और ब्याज सहित अन्य देनदारियों की पुनर्भुगतान में पिछले वर्ष से (17.13 प्रतिशत की वृद्धि) 19.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को उधार ली गई निधियों की कम उपलब्धता हुई। 2022-23 के दौरान घटक-वार बकाया देनदारी प्रवृत्ति चार्ट 2.13 में दिखाया गया है, जबकि, चार्ट 2.14 2018-23 के दौरान आंतरिक ऋण प्राप्ति के सापेक्ष भुगतान को दर्शाता है।

चार्ट 2.13: 2022-23 के अंत में कुल बकाया देन-दारियों का ब्यौरा



चार्ट 2.14: आंतरिक ऋण प्राप्ति के सापेक्ष भुगतान



2018-23 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप का विवरण तालिका 2.30 में दिया गया है।

तालिका 2.30 राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्त पोषण स्वरूप

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजकोषीय घाटा के अवयव					
1 राजस्व अधिशेष (+)/राजस्व घाटा (-)	5,521	1,960	-3,114	6,944	13,564
2 निवल पूँजीगत व्यय	-10,712	-9,879	-8,466	9,377	14,016
3 निवल उधार व अग्रिम	-1,438	-116	-3,331	171	4,165
राजकोषीय घाटा के वित्त पोषण का स्वरूप					
1 बाजार से उधार	4,023	5,656	8,900	3,746	400
2 भारत सरकार से ऋण	106	252	2,390	3,012	3,372
3 एनएसएसएफ द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	-757	-769	-769	-770	-769
4 वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,371	222	281	-395	-588
5 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	69	6	-23	-193	16
6 जमा एवं अग्रिम	1,496	1,238	3,215	-722	3,346
7 उचंत एवं विविध	127	97	53	-27	295
8 प्रेषण	60	-17	44	-14	-36
9 रक्षित निधि	379	4,018	772	-380	-809
10 कर्णांकित कोष में निवेश	0.00	0.00	304	200	500
11 कुल घाटा	6,874	10,703	15,167	4,457	5,727
12 नकद शेष में वृद्धि (+)/ कमी (-)	-245	-2,668	-256	-1,853	-1,110
13 कुल राजकोषीय घाटा	6,629	8,035	14,911	2,604	4,617
<i>नोट:</i> ₹ 618.21 करोड़ से राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई, जैसा कि कंडिका 1.5 में ब्यौरा दिया गया है।					

जैसा तालिका 2.30 से देखा जा सकता है कि राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा राज्य की राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया था। इसलिए, राजकोषीय घाटा (₹ 4,617 करोड़) पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम पर उधार ली गई निधि के उपयोग के कारण हुई।

2022-23 के दौरान, ₹ 4,617 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से भारत सरकार के ऋण (₹ 3,371 करोड़) और जमा और अग्रिम (₹ 3,346 करोड़) द्वारा वित्तपोषित किया गया था।


2.6 लोक ऋण परिपक्वता की रूपरेखा और पुनर्भुगतान

लोक ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान की रूपरेखा लोक ऋण पुनर्भुगतान या ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

तालिका 2.31: राज्य के ऋण पुनर्भुगतान की परिपक्वता की रूपरेखा

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	लोक ऋण के सापेक्ष प्रतिशतता
0 - 1	4,616.11	5
1 - 3	13,595.17	16
3 - 5	10,822.07	13
5 - 7	11,486.53	14
7 और अधिक	44,424.49	52
कुल	84,944.37	100

चार्ट 2.15: लोक ऋण परिपक्वता रूपरेखा



जैसा कि तालिका 2.31 और चार्ट 2.15 में देखा जा सकता है झारखण्ड सरकार के लोक ऋण की परिपक्वता के कारण आने वाले वर्षों में मोचन दबाव लगभग ₹ 5,000 करोड़ और ₹ 6,000 करोड़ के बीच रहेगा। हालाँकि, यह राज्य के नए उधार की परिपक्वता के मामले में परिवर्तित होगा।

आगे, राज्य के अगले 10 वर्षों के लिए ऋण अदायगी और ब्याज भुगतान के विश्लेषण ने वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गए विवरणी के आधार पर एक मिश्रित रूझान दिखाया, जैसा कि तालिका 2.32 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.32: राज्य की अगले दस वर्षों में लोक ऋण पुर्नभुगतान की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अदायगी	ब्याज	कुल
2022-23	6,729	6,238	12,968
2023-24	4,616	6,060	10,676
2024-25	6,654	5,930	12,585
2025-26	6,941	5,649	12,590
2026-27	6,504	5,368	11,872
2027-28	4,318	5,143	9,461
2028-29	6,780	5,110	11,890
2029-30	4,707	4,884	9,591
2030-31	5,727	4,841	10,568
2031-32	3,989	4,720	8,710

स्रोत: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार

जैसा कि तालिका 2.32 से स्पष्ट है, राज्य के लोक ऋण परिपक्वता रूपरेखा मोचन दबाव वर्तमान ऋण देयता के अनुसार, 2022-23 से 2031-32 के दौरान लगभग समान रहेगी। मौजूदा देनदारी के मुताबिक, मूलधन और ब्याज की कुल अदायगी अगले 10 वर्षों के दौरान ₹ 8,710 करोड़ से ₹ 12,968 करोड़ के बीच होगी। राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति के आलोक में मूलधन और ब्याज का भुगतान धारणीय होगा, जो आने वाले वर्षों में राज्य द्वारा लिए गए नये उधारों की परिपक्वता की स्थिति में बदल सकता है।

2.6.1 राजकोषीय घाटा और ऋण धारणीयता

2.6.1.1 एफआरबीएम संकेतकों पर आधारित ऋण धारणीयता विश्लेषण

राजकोषीय धारणीयता के संदर्भ में, तेरहवें वित्त आयोग ने ऋण-स.रा.घ.उ अनुपात के संदर्भ में तथा राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के संदर्भ में ऋण धारणीयता को परिभाषित किया। वित्त आयोग (वि.आ.) ने केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय समेकन हेतु सिफारिश की और स.रा.घ.उ के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे और ऋण स्टॉक हेतु सीमाएं प्रदान की है। झारखण्ड सरकार अपने एफ.आर.बी.एम अधिनियम, 2007 में अनुमानित स.रा.घ.उ के तीन प्रतिशत से अधिक राजकोषीय घाटा नहीं बनाए रखने का निर्णय लिया। एफ.आर.बी.एम अधिनियम के मद्देनजर प्रत्येक वर्ष बजट के साथ प्रस्तुत एम.टी.एफ.पी विवरण में स.रा.घ.उ से ऋण स्टॉक के प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

ऋण स्टॉक की स्थिति की तुलना में 15^{वें} वि.आ. लक्ष्य और एफ.आर.बी.एम लक्ष्य तालिका 2.33 में दिए गए हैं।

तालिका 2.33: ऋण धारणीयता - एफ.आर.बी.एम सूचक आधारित विश्लेषण

वर्ष	स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा (प्रतिशत में)		स.रा.घ.उ. से बकाया देनदारियाँ (प्रतिशत में)		राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	
	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी लक्ष्य	वास्तविक	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी लक्ष्य	वास्तविक	15 ^{वें} वि.आ. लक्ष्य	वास्तविक
2018-19	3.00	2.17	27.20	27.41	8.32	8.64
2019-20	3.00	2.59	27.10	30.42	8.08	9.09
2020-21	5.00*	5.03	27.00	36.23 [#]	-	10.31
2021-22	4.00*	0.73	33.00	30.93 [#]	-	9.02
2022-23	3.50	1.17	33.15	30.08	-	7.77

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, एम.टी.एफ.पी एवं एफ.सी. प्रतिवेदन

नोट: जैसा कि कंडिका 1.5 में बताया गया है, राजकोषीय घाटा ₹ 618.21 करोड़ कम बताया गया है।

इसमें 2020-21 में ₹ 1,689.00 करोड़ और 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल नहीं हैं, जो जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त किए गए थे।

* राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के कंडिका 2(1) के आलोक में राजकोषीय घाटा लक्ष्य 2020-21 तथा 2021-22 के लिए क्रमशः 2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत से बढ़ गया था।

तालिका 2.33 से देखा जा सकता है, राज्य सरकार 2022-23 के दौरान लक्ष्य के अन्दर राजकोषीय घाटे को बनाये रखने में सक्षम रही। जबकि 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान ऋण से स.रा.घ.उ. अनुपात अपने लक्ष्य से अधिक था, 2021-22 और 2022-23 के दौरान यह लक्ष्य के अन्दर बना रहा। पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा राजस्व प्राप्तियों (ब्याज भुगतान का भार) से ब्याज भुगतान

के अनुपात के लिए मानक अनुमान प्रदान नहीं किया गया था। हालाँकि, 15वें वि.आ. द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि ब्याज भुगतान की वृद्धि दर पिछले वर्षों की तुलना में 2020-26 की अवधि के दौरान नौ प्रतिशत रखी जानी चाहिए, जो 2020-21 को छोड़कर जब यह 10.31 प्रतिशत था, राज्य द्वारा हासिल की गई थी। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य में राजस्व प्रप्ति से ब्याज भुगतान का अनुपात 7.77 प्रतिशत थी।

2.6.1.2 ऋण धारणीयता संकेतक

ऋण वहनीयता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडों और डोमार दृष्टिकोण के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित कंडिकाओं में दिए गए हैं:

(अ) ऋण वहनीयता का तात्पर्य राज्य की अभी और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा करने की क्षमता से है। तालिका 2.34 और चार्ट 2.16 में दिए गए ऋण वहनीयता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण है।

तालिका 2.34: ऋण धारणीयता संकेतकों में रुझान

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता संकेतक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया सार्वजनिक ऋण* (वर्ष के 31 मार्च को)	60,775.27	66,136.99	75,249.75	80,047.12	84,944.37
बकाया सार्वजनिक ऋण की वृद्धि दर	8.47	8.82	13.78	6.38	6.12
स.रा.घ.उ.	3,05,695	3,10,305	2,96,664	3,58,863	3,93,722
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	13.30	1.51	-4.40	20.97	9.71
लोक ऋण/ स.रा.घ.उ.	19.88	21.31	25.37	22.31	21.57
ऋण पुनर्भुगतान की परिपक्वता प्रोफाइल	3,060.10	4,231.40	2,744.82	4,247.08	6,729.46
लोक ऋण पर औसत ब्याज दर**	7.91	7.98	7.51	7.48	7.05
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान	4,617.23	5,066.29	5,312.44	5,805.62	5,813.08
राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत	8.22	8.67	9.46	8.33	7.24
ऋण पुनर्भुगतान का ऋण प्राप्तियों से प्रतिशत	39.21	44.11	20.26	43.16	73.61
राज्य के लिए उपलब्ध शुद्ध ऋण#	126.10	295.43	5,489.32	-212.83	-3,400.24
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध शुद्ध ऋण	1.62	3.08	40.52	-2.16	-37.19
प्राथमिक घाटा (-)/ प्राथमिक अधिशेष (+)	-1,777.36	-2,726.87	-9,120.26	3,681.84	1,621.56
ऋण स्थिरीकरण (लोक ऋण पर आधारित) (क्वांटम प्रसार \$ + प्राथमिक घाटा)	2,147.17	-5,660.51	-16,084.19	15,126.50	4,996.82

स्रोत: वित्त लेखे


* बकाया सार्वजनिक ऋण शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण और 6004-केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम के तहत बकाया शेष राशि का योग है। 2020-21 और 2021-22 के दौरान, इसमें जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 1,689 करोड़ और ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल नहीं हैं, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

** भुगतान किया गया ब्याज/(लोक ऋण का प्रारंभिक जमा+लोक ऋण का अंतशेष/2) (प्रतिशत में)

राज्य सरकार के लिए उपलब्ध शुद्ध ऋण, लोक ऋण पुनर्भुगतान और लोक ऋण पर चुकाए गए ब्याज की तुलना में लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में गणना की जाती है।

\$ क्वांटम प्रसार= लोक ऋण*(स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर)

चार्ट 2.16: ऋण धारणीयता संकेतकों के रुझान



स्रोत: वित्त लेखे

गिरते ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को स्थिरता की ओर अग्रसर माना जा सकता है। इसके अलावा, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ क्वांटम प्रसार शून्य है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर रहेगा या अंततः ऋण स्थिर हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि क्वांटम प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ जाएगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात अंततः कम हो जाएगा। तालिका 2.34 से यह देखा जा सकता है कि:

- बकाया लोक ऋण पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव देखा गया था।
- राज्य के आर्थिक उत्पादन की तुलना में ऋण के सापेक्ष आकार का आकलन करने के लिए लोक ऋण/स.रा.घ.उ. अनुपात एक महत्वपूर्ण मापदंड है। जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद से इसमें गिरावट का रुख देखा गया।
- औसत ब्याज दर आम तौर पर कम हुई है, जिसका ब्याज भुगतान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- पिछले कुछ वर्षों में लोक ऋण पर ब्याज भुगतान में वृद्धि हुई है। राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत अलग-अलग था लेकिन आम तौर पर एक निश्चित सीमा के भीतर ही रहा।
- ऋण प्राप्तियों के मुकाबले ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत आम तौर पर बढ़ा है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उच्च अनुपात उधार पर अधिक निर्भर हुए बिना ऋण दायित्वों को पूरा करने में चुनौतियों का संकेत देता है।

- राज्य को उपलब्ध निवल ऋण में वित्तीय वर्ष 2022-23 में महत्वपूर्ण नकारात्मक मूल्य के साथ उतार-चढ़ाव देखा गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में प्राथमिक अधिशेष के साथ, प्राथमिक घाटा/अधिशेष भी भिन्न-भिन्न रहा।
- क्वांटम प्रसार और प्राथमिक घाटे के योग के रूप में ऋण स्थिरीकरण की गणना की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 को छोड़कर पिछले कुछ वर्षों में दोलन देखा गया, और यह सकारात्मक था।

(ब) ई. डी. डोमार [डोमार, 1944] के एक अध्ययन के आधार पर ऋण धारणीयता पर एक विश्लेषण किया गया था। डोमार मॉडल बताता है कि लोक ऋणग्रस्तता की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋण की ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राजकोषीय देनदारियों को धारणीय माना जाता है यदि सरकार निकट भविष्य में इन देनदारियों को चुकाने में सक्षम है और ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात असहनीय अनुपात में नहीं बढ़ता है। डोमार मॉडल लोक ऋणों के विश्लेषण के मॉडलों में से एक है, जो बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऋण पर ब्याज दर से अधिक हो जाती है, तो ऋण-जीडीपी अनुपात स्थिर होने की संभावना है।
तालिका 2.35 डोमार धारणीयता की शर्तें दिखाती हैं:

तालिका 2.35: डोमार मॉडल के तहत ऋण धारणीयता मानदंड

जी-आर (जी: वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर; आर: वास्तविक ब्याज दर), डोमार अंतर कहा जाता है	एस<0 (प्राथमिक घाटा)	एस>0 (प्राथमिक अधिशेष)
जी-आर > 0 (मजबूत आर्थिक विकास)	स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर रहना चाहिए	स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम स्थिर स्तर पर लाना चाहिए जिससे लोक बचत हो।
जी-आर < 0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर लाए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए।	अनिर्धारित स्थिति

डोमार विश्लेषण को झारखण्ड के सन्दर्भ में लागू करने से पता चला कि राजकोषीय देनदारियाँ स्थिर स्तर पर रह सकती हैं, जैसा कि तालिका 2.36 में दिखाया गया है।

तालिका 2.36: 2018-23 के दौरान राज्य के ऋण भंडार की स्थिरता

वर्ष	वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर (जी)	वास्तविक ब्याज दर (आर)	डोमार अंतर (जी-आर)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)	अभियुक्ति
	(प्रतिशत में)			(₹ करोड़ में)	
2018-19	8.87	2.39	6.48	(-) 1,777	जैसाकि जी-आर > 0 और एस<0; स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर लाना चाहिए
2019-20	1.08	2.14	-1.06	(-) 2,727	जैसाकि जी-आर<0 और एस <0; स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर लाए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए।
2020-21	-5.30	0.81	-6.11	(-) 9,121	
2021-22	10.87	1.25	9.62	3,682	जैसाकि जी-आर >0 और एस >0; स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम स्थिर स्तर पर लाना चाहिए जिससे लोक बचत हो।
2022-23	6.76	-0.64	7.40	1,622	

वास्तविक आर्थिक विकास दर की गणना वास्तविक स.रा.घ.उ. (अर्थात् स्थिर कीमतों पर) के लिए की गई है।
वास्तविक ब्याज दर की गणना राजकोषीय देनदारियों पर मुद्रास्फीति घटाकर औसत ब्याज दर के रूप में की जाती है।
औसत मुद्रास्फीति सीएसओ, एमओएसपीआई से प्राप्त की गई है।

जैसा कि तालिका 2.36 में दिखाया गया है, 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य में प्राथमिक घाटा था, जबकि इस अवधि के दौरान डोमार अंतर में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई। 2019-20 और 2020-21 के दौरान, प्राथमिक घाटे के साथ डोमार अंतर नकारात्मक था जो धीमी आर्थिक प्रगति का संकेत था। 2021-22 और 2022-23 के दौरान, प्राथमिक अधिशेष के साथ डोमार अंतर सकारात्मक था जो लोक बचत के लिए स्थिर आर्थिक स्थितियों का संकेत देता है। 2021-22 के दौरान, 2020-21 (कोविड वर्ष) के कम आधार के कारण, वास्तविक आर्थिक प्रगति उच्चतम (10.87 प्रतिशत) थी, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सकारात्मक डोमार अंतर (9.62 प्रतिशत) हुआ।

2.6.2 उधार निधि की उपयोगिता

आदर्श रूप से उधार ली गई निधि का उपयोग पूँजी निर्माण और विकास गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधि का उपयोग धारणीय नहीं है। उधार निधि की उपयोगिता तालिका 2.37 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.37: उधार निधियों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	कुल उधार	7,803.43	9,593.12	13,546.58	9,839.87	9,142.30
2	पूर्व उधार का पुनर्भुगतान (मूलधन)	3,060.10	4,231.40	2,744.82	4,247.08	6,729.46
3	निवल पूँजीगत व्यय	10,711.71	9,878.71	8,465.66	9,376.90	14,015.59
4	निवल ऋण व अग्रिम	1,438.43	116.24	3,330.99	17.25	4,164.73
5	निवल उपलब्ध उधार से पूरित राजस्व व्यय का अंश (1-2-3-4)	-7,406.81	-4,633.23	-994.89	-3,801.36	-15,767.48
6	लोक ऋण पर ब्याज भुगतान	4,617.23	5,066.29	5,312.44	5,805.62	5,813.08

स्रोत: वित्त लेखे

2022-23 के दौरान राज्य को पूर्व के उधारों के लिए ₹ 6,729.46 करोड़ का पुनर्भुगतान करना था, जो वर्ष के दौरान हुए राजस्व अधिशेष से पूरा कर लिया गया, जिससे पूँजीगत व्यय और राज्य द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम के लिए उधार ली गई निधियों की अधिक उपलब्धता हुई। लोक ऋण द्वारा पूरा नहीं किए गए पूँजीगत व्यय का हिस्सा लोक लेखा शेष से पूरा किया गया था।

कुल उधार ली गई निधि का उपयोग पूँजीगत व्यय के लिए तथा ऋण और अग्रिम के भुगतान पर उपयोग किया गया था।

2.6.3 प्रत्याभूतियों की स्थिति (आकस्मिक देयताएँ)

भारत का संविधान यह बताता है कि कोई राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर, अपने समेकित निधि की सुरक्षा पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया गया, अपने विधायिका के अधिनियम द्वारा तय किया जाए और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति देने के लिए, जैसा कि तय हो, उधार ले सकता है। प्रत्याभूति देनदारियाँ हैं जो लेनदार द्वारा चूक की स्थिति में जिसके लिए प्रत्याभूति दी गई है, राज्य की समेकित निधि पर निर्भर करती है।

झारखण्ड सरकार ने इस संबंध में न तो प्रत्याभूति मोचन निधि बनाई है और न ही कोई नीति बनाई है। हालाँकि, वित्त विभाग के अनुसार, 2022-23 तक ऊर्जा कंपनियों को ₹ 2,378.23 करोड़ और झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को ₹ 2,463 करोड़ की प्रत्याभूति दी गई है। इस संबंध में कोई और विवरण नहीं दिया गया है।

सरकार ने झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेएसईबी) के पक्ष में फरवरी 2013 में ₹ 157.15 करोड़ राशि का लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) दिया था, जो जनवरी 2014 में जे.एस.ई.बी. के विखंडित होने के बाद भी सरकार के लेखाओं में संशोधन हेतु अभी तक लंबित था। तालिका 2.38 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ दर्शाता है।

तालिका 2.38: राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ब्याज सहित प्रत्याभूति की लंबित राशि	607.15	607.15	607.15	607.15	4,998.39

स्रोत: वित्त लेखे

2.7 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुबंध के अनुसार, राज्य सरकार को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष रखना है। यदि किसी दिन शेष राशि न्यूनतम से कम हो जाती है, तो समय-समय पर अर्थोपाय अग्रिम (डब्लू.एम.ए.)/ विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस.डब्लू.एम.ए.)/ ओवर ड्राफ्ट (ओ.डी.) के द्वारा कमी को पूरा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार को देय साधारण

डब्लू.एम.ए की सीमा को संशोधित किया गया (17 अप्रैल 2020 से लागू ₹ 1,152 करोड़, जो बाद में घटकर 31 मार्च 2022 से लागू ₹ 1,067 करोड़ हो गया)।

कोई भी अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में नहीं लिया गया।

राज्य सरकार भारत की अल्पकालीन और दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों और कोषागार विपत्रों में अपने नकद अधिशेष का निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' के तहत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है।

2021-22 और 2022-23 के दौरान सामान्य नकद शेष और इसमें निवेश का तुलनात्मक विवरण तालिका 2.39 दिखाता है और 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673) की स्थिति को तालिका 2.40 दिखाता है।

तालिका 2.39: नकद शेष और इसका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2023 को अन्त शेष
अ. सामान्य नकद शेष		
कोषागार में नकद	0	0
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा	149.37	91.07
अन्य बैंक में जमा	0	0
प्रेषण-स्थानीय	0	0
उप-योग	149.37	91.07
नकद शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेश	4,480.63	5,149.41
कुल (अ)	4,630.00	5,240.48
ब. अन्य नकद शेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद यथा लोक निर्माण विभागीय अधिकारी, वन विभागीय अधिकारी	38.67	38.17
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों को स्थायी अग्रिम	0.16	0.16
कर्णाकित निधि में निवेश	903.87	1,403.87
कुल (ब)	942.70	1,442.20
कुल (अ + ब)	5,572.70	6,682.68
ब्याज प्राप्ति	58.63	91.14

स्रोत : वित्त लेखे

31 मार्च 2023 तक नकद शेष निवेश लेखा में शेष राशि ₹ 5,149.41 करोड़ थी और 2022-23 के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹ 91.14 करोड़ था।

2022-23 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में राज्य का नकद शेष निवेश में वृद्धि हुई।

वर्ष 2012-13 में राज्य ने एस.डी.आर.एफ. के कर्णांकित निधियों से ₹ 400 करोड़ का निवेश किया था। ₹ 1,111.26 करोड़ के शेष को जैसा कि एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश में निर्धारित है, निवेशित नहीं किया गया था। 31 मार्च 2023 को हास निधि में हस्तांतरित ₹ 1,003.87 करोड़ में से ₹ 500 करोड़ का निवेश वर्ष 2022-23 में राज्य के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में किया गया।

तालिका 2.40: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)


(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/ कमी (-)	अर्जित ब्याज
2018-19	354.56	167.90	(-)186.66	31.43
2019-20	167.90	3,070.62	2,902.72	147.42
2020-21	3,070.62	2,811.20	(-)259.42	58.59
2021-22	2,811.20	4,480.63	1,669.43	60.21
2022-23	4,480.63	5,149.41	668.78	91.14

लेखों में परिलक्षित आंकड़े {₹ 91.07 करोड़ (डेबिट)} तथा आर.बी.आई. द्वारा सूचित किये गए आंकड़ों {₹ 95.29 करोड़ (डेबिट)} के बीच ₹ 186.36 करोड़ (निवल डेबिट) का अंतर था। इस अंतर के समाशोधन एवं आवश्यक सुधार के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड द्वारा आर.बी.आई., राँची के साथ प्रयास किये जा रहे हैं।

चार्ट 2.17 पिछले पाँच वर्षों के दौरान बाजार ऋणों (निवल) और नकद शेष के तुलनात्मक रुझान को दर्शाता है।

चार्ट 2.17: बाजार ऋण (निवल) एवं नकदी शेष की प्रवृत्ति



वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने बाजार से ₹ 400 करोड़ की ऋण की उगाही की, जबकि उसी समय, नकद शेष वर्ष 2021-22 में ₹ 5,572.70 करोड़ से बढ़कर चालू वर्ष के अंत में ₹ 6,682.68 करोड़ रहा।

2.8 निष्कर्ष

सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को आँकने के लिए घाटे के संकेतक, राजस्व आवर्धन और व्यय प्रबंधन प्रमुख मापदण्ड हैं।

राज्य ने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में राजस्व घाटे को शून्य तक कम करने के लक्ष्य को दी गई समय-सीमा से काफी पहले अपने हासिल कर लिया है। 2020-21 को छोड़कर राज्य में पिछले पाँच वर्षों में राजस्व अधिशेष था। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, 2020-21 को छोड़कर जब यह लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था, राज्य का राजकोषीय घाटा लक्ष्य के अन्दर था।

2022-23 के दौरान, राज्य का राजस्व व्यय कुल व्यय का 78.53 प्रतिशत था। 2021-22 में ₹ 9,377 करोड़ के विरुद्ध 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 14,016 करोड़ था। 2022-23 के दौरान, पूँजीगत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर 227.28 प्रतिशत अधिक व्यय के कारण हुई।

राज्य के कुल व्यय में, सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2018-19 से 2022-23 के दौरान लगातार बढ़ा, जबकि सामान्य एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2022-23 के दौरान घट गया। आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2018-19 में 38 प्रतिशत से 2022-23 में 33 प्रतिशत तक लगातार घटा, जो इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा दी गई कम प्राथमिकता का संकेत था।

उधार ली गई कुल निधि ₹ 9,142.30 करोड़ का उपयोग पूँजीगत व्यय और ऋण और अग्रिम के भुगतान पर किया गया था। राज्य को 2022-23 के दौरान पहले के उधारों के लिए ₹ 6,729.46 करोड़ का पुनर्भुगतान करना था, जो वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व आधिक्य से पूरा हुआ था।

31 मार्च 2023 को समाप्त राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, सरकार ने नवम्बर 2000 में राज्य के गठन के बाद से ₹ 2,483.36 करोड़ का निवेश (सरकारी कम्पनियों, ग्रामीण बैंक तथा सहकारी संस्थाओं) में किया था। इनके निवेश पर कोई प्रतिफल नहीं होने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान इक्विटी के रूप में ग्रामीण बैंक, राज्य पी.एस.यू. और सहकारिताओं में ₹ 233.14 करोड़ का निवेश किया।

निवेश के अलावा, सरकार द्वारा अपने संस्थाओं को दिए गए ऋण के रूप में एक बड़ी राशि (₹ 28,513 करोड़) मार्च 2023 के अंत तक बकाया थी।

कुल दायित्व¹⁰ 2021-22 में ₹ 1,13,483 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 1,18,448 करोड़ हो गई। एम.टी.एफ.पी के लक्ष्य 33.15 प्रतिशत के विरुद्ध

¹⁰ इसमें 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल है, जो भारत सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले में प्राप्त किए गए।

राजकोषीय दायित्व का स.रा.घ.उ. से अनुपात 30.08 प्रतिशत था। समग्र बिहार राज्य की राजकोषीय दायित्वों का विभाजन अब तक उत्तराधिकारी राज्यों बिहार और झारखण्ड के बीच नहीं किया गया है।

सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) के गठन के पश्चात से कोई ब्याज नहीं दिया, जो 2011-23 की अवधि के लिए लागू ब्याज दर पर ₹ 1,002.80 करोड़ होता है। ब्याज का भुगतान न करने से राज्य के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ा। आगे, सरकार ने वर्ष के दौरान हास निधि में ₹ 500 करोड़ का अंतरण किया।

₹ 173.30 करोड़ का विभिन्न उपकर एकत्र कर राज्य की समेकित निधि में स्थानांतरित किया गया। सरकारी विभागों ने एकत्र उपकर संबंधित बोर्डों को हस्तांतरित नहीं किया।

2.9 अनुशंसाएँ

- राज्य सरकार को अपने निवेश और विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋणों को युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि निवेश और ऋण पर प्रतिफल कम से कम सरकारी उधार लागत के बराबर हो सके। अन्यथा, निवेश में प्रतिफल की नगण्य दर के साथ बढ़ती राजकोषीय देनदारियाँ अवहनीय ऋण की स्थिति को जन्म दे सकती हैं।
- राज्य को एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और एम.टी.एफ.पी. विवरणियों में निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में अपने वित्तीय प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे।
- झारखण्ड सरकार श्रम कल्याण बोर्ड को श्रम उपकर का पूरा हस्तांतरण यथाशीघ्र सुनिश्चित कर सकता है, ताकि बोर्ड भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार लाने और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके।